

डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2019

[पॉलिटेक्निक (अभियंत्रण) / पार्ट-टाइम चार वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण / पारा मेडिकल-डेंटल (माध्यमिक स्तरीय) / पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय)]

DIPLOMA-CERTIFICATE ENTRANCE COMPETITIVE EXAMINATION-2019

[POLYTECHNIC (ENGG.) / PART TIME 4 YEARS POLYTECHNIC ENGG. / PARA MEDICAL-DENTAL (MATRIC LEVEL) /

PARA MEDICAL (INTERMEDIATE LEVEL)]

D.C.E.C.E. (PE / PPE / PMD / PM) - 2019

विवरण-पुस्तिका
2019

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद
(बिहार सरकार)

परीक्षा की तिथि : 16.06.2019 एवं 17.06.2019

विषय-सूची

क्रम सं.

विवरण

पृष्ठ संख्या

1.	परिचय।	3
2.	पाठ्यक्रम-समूह।	3
3.	संस्थान / पाठ्यक्रम / उपलब्ध सीटें।	3
4.	पॉलिटिकनिक (अभियंत्रण) पाठ्यक्रम समूह (PE) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।	3
5.	पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटिकनिक अभियंत्रण (PPE) पाठ्यक्रम समूह के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।	4
6.	पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PMD) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।	4
7.	पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।	4
8.	आरक्षण।	5
9.	सैनिक कर्मचारी-कोटा (SMQ) के अन्तर्गत (सैन्यपाल्य हेतु) पॉलिटिकनिक अभियंत्रण एवं गैर अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूहों के लिए अतिरिक्त आरक्षित सीटें।	6
10.	डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा : मुख्य तिथियाँ / प्रश्न पत्र / परीक्षा स्तर।	6
11.	आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क।	8
12.	आवेदन पत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश।	9
13.	आवेदन पत्र भरने से संबंधित विशेष सूचना।	11
14.	डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रक्रिया।	11
15.	डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त।	11
16.	अन्य आवश्यक सूचनाएँ।	12

परिशिष्ट / सारणी

सारणी 1.1	: त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीटों की विवरणी।	14
सारणी 1.2	: पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटिकनिक अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीटों की विवरणी।	18
सारणी 1.3	: प्राइवेट पॉलिटिकनिक अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीटों की विवरणी।	19
सारणी 2.1	: पारा मेडिकल-डेन्टल पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रम की सीटों की विवरणी।	20
सारणी 3.1A एवं 3.1B	: पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत ए.एन.एम. नर्सिंग पाठ्यक्रम की सरकारी / गैर सरकारी संस्थानों की सीटों की विवरणी।	21
सारणी 3.1C एवं 3.1D	: पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत ग्रेड 'ए' नर्सिंग पाठ्यक्रम की सरकारी / गैर सरकारी संस्थानों की सीटों की विवरणी।	24
सारणी 3.2	: पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत सीटों की विवरणी।	26
परिशिष्ट-4.i	: PM/PMD पाठ्यक्रमों के लिए दिव्यांगता से सम्बन्धित अर्हता / योग्यता।	28
परिशिष्ट-4.ii	: PE/PPE पाठ्यक्रमों के लिए दिव्यांगता से सम्बन्धित अर्हता / योग्यता।	29
परिशिष्ट-4.iii	: सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) से सम्बन्धित विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार का संकल्प।	30

LIST OF ENCLOSURES (CHECK LIST)

अनुलग्नकों की सूची (जाँच सूची)

Sl.No. क्रम. सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नक - विवरणी	Persons/ organisations from where it should be obtained व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
1.	Certificate of passing (ii) Marks sheet and (iii) Admit Card, for Matric/ equivalent Examination for Polytechnic (Engg.) / P.P.E. / Para Medical-Dental Courses (Matric Level) माध्यमिक स्तरीय / समकक्ष परीक्षा पास होने का (i) प्रमाण पत्र (ii) अंक पत्र एवं (iii) प्रवेश पत्र [पॉलिटेकनिक (अभियंत्रण)/ पार्ट-टुईम पॉलिटेकनिक अयंत्रण/ पारा मेडिकल-डेंटल पाठ्यक्रम (माध्यमिक स्तरीय) के लिए]	Board or equivalent बोर्ड या समकक्ष।
2.	Certificate of passing (ii) Marks Sheet and (iii) Admit Card for Intermediate / or equivalent examination for Para Medical Courses (Intermediate Level) इंटर मीडिएट स्तरीय / समकक्ष परीक्षा पास होने का (i) प्रमाण पत्र (ii) अंक पत्र एवं (iii) प्रवेश पत्र [पारा मेडिकल पाठ्यक्रम (इंटरमीडिएट स्तरीय) के लिए]	Relevant University / Council or its equivalent सम्बन्धित विश्वविद्यालय / परिषद् या समकक्ष।
3.	Caste certificate जाति प्रमाण-पत्र	Issued by the Concerned C.O. of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत।
4.	Income & Assest Certificate to be produced by Economically Weaker Section आर्थिक रूप से कमजोद वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र	Issued by concerned DM / SDM / CO of permanent resident in prescribed proforma. स्थायी निवास के डी.एम./ एस.डी.एम./ सी.ओ. द्वारा निर्गत।
5.	Character certificate चरित्र प्रमाण पत्र	Head of Institution last attended. जिस संस्थान में अंतिम रूप से नामांकित हों, उसके प्राधानाचार्य / प्राचार्य।
6.	Income Certificate (If needed to be submitted at the time of counselling) आय प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार काउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना है)	Issued by the Concerned C.O. of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत।
7.	Application Form (Part-A) आवेदन पत्र (पार्ट-A)	Duly filled in by the candidate and photo pasted on the specified place on it. अभ्यर्थी द्वारा भरा हुआ एवं निर्दिष्ट स्थान पर फोटो चिपकाया हुआ।
8.	Photograph फोटोग्राफ	Photograph (As per 12.2 of the Prospectus) फोटोग्राफ (विवरण पुस्तिका की कॉडिका-12.2 के अनुसार)।
9.	(i) Certificate for permanent resident of Bihar बिहार के स्थायी / मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र	Issued by the Concerned C.O. of Permanent residence. स्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत।

Sl.No. क्रम. सं.	Particulars of Enclosures अनुलग्नक - विवरणी	Persons/ organisations from where it should be obtained व्यक्ति / संस्थान / संगठन जहाँ से उसे प्राप्त करना है
	* (ii) Refugee Registration certificate शरणार्थी निबन्धन प्रमाण पत्र	Issued by the DM/ Refugee Registration Officer जिला दंडाधिकारी / शरणार्थी निबंधन पदाधिकारी।
	* (iii) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the Govt. of Bihar इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता बिहार सरकार के कर्मी हैं	Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्ता।
	* (iv) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of Govt of India and posted in Bihar or an employee of any Public Sector Undertaking of the Government of India and posted in Bihar at the time of the submission of the application इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता आवेदन पत्र देने के समय भारत सरकार के कर्मी (Employee) हैं एवं बिहार में पदस्थापित हैं या भारत सरकार के किसी उपक्रम के कर्मी (Employee) हैं एवं बिहार में कार्यरत हैं	Employer concerned सम्बन्धित नियोजनकर्ता।
	* (v) Certificate showing that the applicant's parent is an employee of the United Nations Organisation and that he/ she is at present posted in Bihar इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक के माता / पिता युनाईटेड नेशन्स आर्गनाइजेशन के कर्मी (Employee) हैं एवं वे संप्रति बिहार में पदस्थापित हैं	Employer concerned. सम्बन्धित नियोजनकर्ता।
	* (vi) Certificate for Servicemen's Quota (SMQ), clearly mentioning the relationship of the candidate सर्विस मेन्स कोटा (SMQ) प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट किया हो कि अभ्यर्थी से किस प्रकार का सम्बन्ध है	As per paragraph 9 of this Prospectus. इस विवरण पुस्तिका की कडिका-9 के अनुसार।
	* (vii) Certificate for DISABLED Quota दिव्यांगता (DQ) प्रमाण पत्र	As per paragraph 8.5 of this Prospectus. इस विवरण पुस्तिका की कडिका-8.5 के अनुसार।
10.	Adhar Card आधार कार्ड	Issued by Unique Identification Authority of India भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से निर्गत।

* **Note :** *To be furnished wherever applicable.*
आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये।

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद

डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2019

[पॉलिटिकनिक (अभियंत्रण) / पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटिकनिक अभियंत्रण / पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) / पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय)]

1. बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के ज्ञापांक-200 दिनांक 02.02.2001 के अनुसार बिहार राज्य के अन्तर्गत पॉलिटिकनिक संस्थानों के विभिन्न अभियंत्रण तथा पत्रांक-वि.प्रा.(II) व/32/2014/2985 दिनांक 24.12.2014 / पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटिकनिक अभियंत्रण (PPE) पाठ्यक्रमों और पत्रांक-वि.प्रा.(II) छात्र-03/2008/3226 दिनांक 29.11.2010 एवं पत्रांक-वि.प्रा.(II) व/32/2014/2881 दिनांक 12.12.2014 तथा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्ञापांक 37(26)/स्वा. दिनांक 04.02.2000 के अनुसार बिहार सरकार के विभिन्न अस्पतालों एवं अन्य मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों के विभिन्न पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) तथा पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिये चयन हेतु डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2019, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी।

2. पाठ्यक्रम-समूह :

2.1 पॉलिटिकनिक (अभियंत्रण) पाठ्यक्रम समूह (PE) :

इस समूह में पॉलिटिकनिक संस्थानों के सभी अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका कोड PE होगा।

2.2 पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटिकनिक अभियंत्रण समूह (PPE) :

इस समूह में चयनित पॉलिटिकनिक संस्थानों के निर्धारित अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका कोड PPE होगा।

2.3 पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PMD) :

इस समूह में पारा मेडिकल-डेन्टल पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका कोड PMD होगा।

2.4 पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM) :

इस समूह में सभी पारा मेडिकल पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका कोड PM होगा।

3. संस्थान / पाठ्यक्रम / उपलब्ध सीटें :

विभिन्न पाठ्यक्रम समूहों के लिए संस्थानों/ पाठ्यक्रमों/ उपलब्ध सीटों के विवरण निम्नलिखित सारणियों में उपलब्ध हैं-

पाठ्यक्रम समूह	सारणी सं.	परिशिष्ट सं.
i. पॉलिटिकनिक अभियंत्रण (माध्यमिक स्तरीय)	1.1	1
ii. पार्ट टाईम चार वर्षीय पॉलिटिकनिक अभियंत्रण (माध्यमिक स्तरीय)	1.2	1
iii. पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय)	2.1	2

iv. पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) 3.1A, 3.1B, 3.1C 3.1D एवं 3.2

बिहार सरकार द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों / विषयों की शिक्षा, सीटों की संख्या में फेर बदल होने पर तदनुसार जानकारी नामांकन हेतु साक्षात्कार के पूर्व दे दी जायेगी। गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों में उपलब्ध सीटों पर राज्य सरकार एवं संस्थान के बीच अंतिम निर्णय के पश्चात् ही नामांकन प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

4. पॉलिटिकनिक (अभियंत्रण) पाठ्यक्रम समूह (PE) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें :

4.1 शैक्षणिक :-

पाठ्यक्रम : अभियंत्रण (तीन वर्षीय)।

शैक्षणिक योग्यता : (क) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष दसवीं की परीक्षा, कम-से-कम 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण। (ख) जो आवेदक वर्ष 2019 की माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी पॉलिटिकनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए योग्यता-प्राप्त हैं, किन्तु इस परीक्षा के आधार पर प्रथम कॉउन्सेलिंग प्रारम्भ होने की तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

नोट :

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट, शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी आभातशिप (AICTE) के अन्य बन्धेज लागू किया जा सकता है।

4.2 आवासीय :-

केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं, जो भारत वर्ष के नागरिक हैं और निम्नलिखित में से कम-से-कम एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

- जिनके माता/ पिता/ पति/ पत्नी बिहार के स्थायी / मूल निवासी हैं।
- जिनके माता/ पिता/ पति/ पत्नी बिहार में निर्बाधित शरणार्थी (रिफ्यूजी) हैं।
- जिनके माता/ पिता/ पति/ पत्नी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं।
- जिनके माता/ पिता/ पति/ पत्नी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं या बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के उपक्रमों / संस्थानों के कर्मचारी हैं।
- जिनके माता/ पिता/ पति/ पत्नी राष्ट्रसंघ के कर्मचारी हैं और वर्तमान में बिहार में पदस्थापित हैं।

4.3 शारीरिक :-

प्रवेश के लिए चयनित आवेदकों की चिकित्सकीय जाँच करायी जायेगी। चिकित्सकीय जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अलग से शुल्क देय होगा।

4.4 आयु :-

अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदकों की कोई अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा नहीं है।

5. पार्ट-टाइम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण समूह (PPE) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।

5.1 शैक्षणिक :-

पाठ्यक्रम : अभियंत्रण (चार वर्षीय)।

(क) शैक्षणिक योग्यता / कार्य अनुभव :

10वीं कक्षा / समकक्ष परीक्षा उतीर्णता के साथ दो वर्षीय आई.टी.आई. पास।

अथवा

10वीं कक्षा / समकक्ष परीक्षा उतीर्ण तथा किसी निर्बंधित फर्म / कम्पनी / उद्योग / शैक्षणिक संस्थान तथा सरकारी / गैर सरकारी, स्वशासी निकायों से नामांकन हेतु आवेदित संकाय से संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव।

(ख) नामांकन संस्थान (नवीन राजकीय पॉलिटेकनिक, पटना-13) से 50 कि.मी. परिधि क्षेत्र में अवस्थित सरकार द्वारा पंजीकृत सरकारी / अर्द्ध-सरकारी/ गैर सरकारी उद्योगों/ संगठनों में तकनीकी पर्यवेक्षक अथवा तृतीय श्रेणी में तकनीकी पद पर कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मी ही इस पाठ्यक्रम समूह में प्रवेश के पात्र होंगे।

(ग) उपरोक्त कंडिका 5.1(क) एवं 5.1(ख) के अनुसार वांछित पात्रता-प्राप्त अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा पंजीकृत सरकारी / अर्द्ध-सरकारी/ गैर सरकारी उद्योगों/ संगठनों के प्राधिकृत प्रधान अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसमें सम्बन्धित संगठन में अभ्यर्थी के कार्यरत रहने की अवधि, कार्य अनुभव का विवरण एवं चार वर्षीय अभियंत्रण पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रायोजित (Sponsored) करने का उल्लेख होना आवश्यक है।

5.2 आवासीय :-

कंडिका 4.2 के समान।

5.3 शारीरिक :-

कंडिका 4.3 के समान।

5.4 आयु :-

पार्ट-टाइम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण समूह (PPE) के लिये आवेदक की आयु दिनांक 01.07.2019 को न्यूनतम 19 वर्ष होनी चाहिए।

6. पारा मेडिकल-डेंटल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PMD) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।

6.1 शैक्षणिक :-

पाठ्यक्रम : ड्रेसर (परिधापक)।

शैक्षणिक योग्यता : माध्यमिक परीक्षा / सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से दसवीं या अन्य समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषय एवं अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण। जो आवेदक वर्ष 2019 की माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्यता-प्राप्त हैं, किन्तु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधासूची प्रकाशन की तिथि तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

6.2 आवासीय :-

कंडिका 4.2 के समान।

6.3 शारीरिक :-

कंडिका 4.3 के समान।

6.4 आयु :-

पारा मेडिकल-डेंटल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह के लिये आवेदक की आयु दिनांक 31.12.2019 को न्यूनतम 15 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिये। माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्यता दी जायेगी। उम्र के सन्दर्भ में शपथ पत्र (अफिडेविट) या अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

7. पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM) के लिए अर्हतायें तथा वांछित योग्यतायें।

7.1 शैक्षणिक :-

पाठ्यक्रम :

- डिप्लोमा-इन-फार्मेसी (भारतीय भैषज्य परिषद की मान्यता संस्थान को प्राप्त होने की स्थिति में ही नामांकन किया जायेगा)।
- सैनितरी इन्सपेक्टर (स्वच्छता निरीक्षक)।
- ऑफथैलमिक असिस्टेंट (चक्षु सहायक)।
- ओ.टी. असिस्टेंट (शल्य गृह सहायक)
- लेबोरेट्री टेकनीशियन (प्रयोगशाला प्रावैधिक)
- एक्स-रे टेकनीशियन (एक्स-रे प्रावैधिक)
- ऑर्थोटिक एवं प्रोस्थेटिक सहायक।
- स्टाफ ग्रेड 'ए' नर्सिंग कोर्स (केवल महिलाओं के लिये)।
- ए.एन.एम.(नर्सिंग) कोर्स (केवल महिलाओं के लिए)।
- डेंटल मैकेनिक्स।
- डेंटल हाइजनिस्ट।

शैक्षणिक योग्यता : (क) डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट साइन्स या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण।

(ख) (i) जी.एन.एम. (ग्रेड-A जेनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी) कोर्स, जो केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा, के लिये 10+2 / 12th विज्ञान विषयों (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान) में कम-से-कम 40% प्राप्तांकों एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट होगी।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 / इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स, नर्सिंग कॉउन्सिल ऑफ इन्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण किया है, वे भी जी.एन.एम. नर्सिंग कोर्स में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे।

(iii) ए.एन.एम. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसी अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 / इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया है वे भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे।

(ग) ए.एन.एम.(नर्सिंग) कोर्स, जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा, के लिए केवल 10+2/ इंटरमीडिएट परीक्षा 40% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ए.एन.एम. कोर्स के लिए 10+2 / इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय अवश्य होना चाहिए।

(घ) शेष पाठ्यक्रमों के लिए जो आवेदक + 2 इंटरमीडिएट साइन्स या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हों वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

(ङ) डेंटल मैकेनिक्स एवं डेंटल हाइजनिस्ट कोर्स में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में कुल मिलाकर 50 % अंक के साथ 10+2 / इंटरमीडिएट साइन्स उत्तीर्ण।

(च) जो आवेदक वर्ष 2019 की 10+2 / इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे भी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त हैं, किन्तु इस प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधासूची प्रकाशन तक उनका उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

आवासीय :-

कंडिका 4.2 के समान।

7.2

शारीरिक :-

कंडिका 4.3 के समान।

7.3

आयु :-

पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह के लिये

7.4

आवेदक की आयु दिनांक 31.12.2019 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिये। जी.एन.एम. पाठ्यक्रम के लिए उक्त तिथि को अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। ए.एन.एम. पाठ्यक्रम के लिए भी अधिकतम आयु की सीमा नर्सिंग कॉउन्सेल ऑफ इन्डिया के अद्यतन प्रावधान के अनुसार 35 वर्ष है। माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्यता दी जायेगी। उम्र के सन्दर्भ में शपथ पत्र (अफिडेविट) या अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

7.5 स्टाफ ग्रेड-ए नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं ए.एन.एम.नर्सिंग पाठ्यक्रम केवल महिलाओं के लिये आरक्षित है। इस पाठ्यक्रम में प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवार के नामांकन के समय, गर्भवती होने की स्थिति में उनका नामांकन तो हो सकेगा लेकिन वे तत्काल प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य नहीं होगी। ऐसी उम्मीदवार गर्भावस्था समाप्त होने के बाद पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य होंगी। उन्हें सम्बन्धित अधीक्षक द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रशिक्षण के योग्य माना जाएगा। ऐसी उम्मीदवार निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद ही परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य होंगी।

8. आरक्षण :

8.1 नामांकन हेतु चयन एवं तदुपरान्त प्रवेश के लिये बिहार सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि तक निर्धारित एवं लागू किये गये आरक्षण अधिनियम / नियमों/ नीतियों का पालन किया जायेगा।

8.2(क) जो आवेदक बिहार राज्य के स्थायी / मूल निवासी (Permanent resident) हों उनके लिये प्रत्येक संस्थान की शाखावार सीटों पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि तक लागू आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिये आरक्षण निम्नवत है:-

क्रम	कोटि	आरक्षित सीटों का प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste : SC)	16
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe : ST)	1
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class : EBC)	18
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class : BC)	12
5.	आरक्षित वर्ग की महिलायें (Reserved Category Girls: RCG)	3
6.	* आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (Reserved for Economically Weaker Sections : EWS)	10

शेष 40 अनारक्षित सीटें सामान्य कोटि (Unreserved Category : UR) की होगी।

नोट - * आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण अंक गजट (संख्या- पटना 284) पटना, दिनांक 26.02.2019 के अनुसार होगा।

(ख) जो आवेदक बिहार के स्थायी / मूल निवासी नहीं हैं, वे बिहार राज्य के संस्थानों में कडिका 9.2 (क) में कर्णांकित की गई आरक्षण कोटि की सीटों पर नामांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 11/आ0-विविध-50/ 2011 सा० 2710 दिनांक 26.08.2011 के अनुसार पात्र नहीं होंगे।

8.3 आवेदन-पत्र ऑन लाईन Submit करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि को लागू बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत एवं निर्गत SC/ST/EBC/BC की सूची के आधार पर ही आरक्षण हेतु कोटि (Category) निर्धारित की जायेगी।

8.4 (i) आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जो अपनी मेधा के आधार पर सामान्य [Unreserved (UR)] (खुली गुणा गुण) कोटि की मेधा सूची में स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें सामान्य [Unreserved (UR)] (खुली गुणा गुण) कोटि में मनोनुकूल पाठ्यक्रम / संस्थान प्राप्त नहीं होने पर, बेहतर विकल्प के लिए अपने सम्बन्धित आरक्षण कोटि की मेरिट पर पाठ्यक्रम / संस्थान के चयन का विकल्प प्राप्त हो सकेगा।

(ii) इस सन्दर्भ में राज्य सरकार / माननीय न्यायालय यदि कोई दिशा-निर्देश जारी करती है तो विचारोपरान्त उसे अद्यतन रूप से लागू किया जा सकता है।

8.5 दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटें :

(i) दिव्यांगों के लिए सभी संस्थानों में कुल निर्धारित सीटों की 5 (पाँच) प्रतिशत सीटें दिव्यांग कोटा के लिये आरक्षित हैं जो निर्धारित कुल सीटों की संख्या में ही सम्मिलित होंगी।

(ii) इस क्रम में नामांकन हेतु सीट आवंटन के उद्देश्य से यदि राज्य सरकार कोई अन्य आदेश, इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि तक जारी करती है तब उसी आदेश के अनुरूप, दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत नामांकन में आरक्षण- प्रावधान लागू होगा।

(iii) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- वि. प्रा.(11) नामांकन-01/2015-1675 दिनांक 24.07.2015 के अनुसार राजकीय पॉलिटेकनिक, सहरसा, राजकीय पॉलिटेकनिक, गोपालगंज एवं नवीन राजकीय पॉलिटेकनिक, पटना-13 में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 25 सीटें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध है। जो उक्त संस्थानों के निर्धारित शाखाओं में समान रूप से वितरित होंगे।

8.5.1 दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) में निर्धारित स्थान पर अपना दावा अंकित कर बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता सम्बन्धी वांछित प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र पर अभ्यर्थी का अभिप्रमाणित फुल साईज का फोटो चिपका होना चाहिये।

दिव्यांग कोटि के वैसे अभ्यर्थी जो Permanent loss of limbs या Cerebral palsy से प्रभावित होने के कारण स्वयं लिखने में सक्षम नहीं हैं और उनके पास इस आशय का प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध है, उन्हें ऑन लाईन आवेदन करते समय यथा स्थान श्रुतिलेखक उपलब्ध कराने का अनुरोध करना आवश्यक होगा।

8.5.2 दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत मेधा-सह-विकल्प के आधार पर दिव्यांग आवेदक उन्हीं पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे जिसके लिये स्वीकार्य मानकों के अधीन निर्धारित दिव्यांगता के अनुरूप उनकी दिव्यांगता ऐसे पाठ्यक्रम के चयन में बाधक नहीं होगी। चिकित्सकीय जाँच में योग्य पाये जाने पर ही आवेदक को नामांकन आदेश निर्गत किया जायेगा। इस चिकित्सकीय जाँच के लिये अलग से शुल्क लगेगा।

[देखे परिशिष्ट-4(i) एवं 4(ii)]

8.5.3 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- वि. प्रा.(11) व-07/2017/1231 दिनांक 09.04.2019 द्वारा संसूचित। AICTE (अभातशिप) की "शिक्षण शुल्क छूट" योजना के

अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों के माता/ पिता (जिनके माता-पिता जीवित न हो उनके लिए अभिभावक) की वार्षिक आय रु. 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये से कम हो उनके लिए डिप्लोमा संस्थानों की कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5% अतिरिक्त सीटों पर नामांकन का प्रावधान है।

9. सैनिक कर्मचारी-कोटा (SMQ) के अन्तर्गत (सैन्यपाल्य हेतु) पॉलिटिकल अभियंत्रण एवं गैर अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूहों के लिए आरक्षित सीटें।

9.1 बिहार राज्य निवासी सेवारत / सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों / अविवाहित पुत्रियों के लिए प्रत्येक पॉलिटिकल संस्थान में सीटें (सर्विसमैन कोटा) आरक्षित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

नोट : सैनिक कर्मचारी कोटा के आरक्षित सीटों पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1647 दिनांक 08.06.2010 की कॉडिका 3.(iii) को इस विवरण पुस्तिका के परिशिष्ट 4(iii) में देखें।

9.2 सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित स्थानों पर नामांकन सिर्फ बिहार राज्य निवासी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों को ही दी जाएगी।

9.3 सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटों के लिए योग्य पाये गए आवेदकों द्वारा पॉलिटिकल अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक के आधार पर निर्धारित मेधा सूची के अनुसार नामांकन हेतु चयन किया जाएगा। उपर्युक्त अर्हता वाले छात्रों के अभाव में ये सीटें खाली रहेंगी।

9.4 सैनिक कर्मचारी कोटा की इन आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने के लिये निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ नामांकन हेतु साक्षात्कार / काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना प्रादेशात्मक (Mandatory) है।

(क) सेवारत सैनिक कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्रों एवं अविवाहित पुत्रियों के लिये :

- जिला दंडाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवेदक का संबंध और आश्रित प्रमाण पत्र।
- सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत सेवारत सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र (सेवारत सैनिक कर्मचारियों के लिए) या जिला सैनिक पर्वद (डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड) द्वारा निर्गत सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र (सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए)।
- डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)।

(ख) भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी (Ex.-Service Men) कौन है?

As per the Extract of "A Guide To Resettlement of Ex-Service Men-1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement :

- An Ex-Service Man is a person who has served in any rank (whether as a combatant or as a non-combatant) in the Armed Forces of the Union including the Armed Forces of the former Indian States (but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak and Territorial Army) for a continuous period of not less than six months after attestation and has been recessed otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending such release or has to serve

for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve or has been released at his own request after completing five years service in the Armed Forces of the Union.

(ii) Former Personnel of the Jammu & Kashmir Militia are also now treated as "Ex-Service Men".

(iii) Four Categories of Territorial Army personnel are now being treated as "Ex-Service Men" by the Ministry of Defence. The Categories are :

- Pension Holders of the continuous embodied service.
- Disabled Territorial Army personnel with disability attributed to Military Service.
- Family Pension Holders.
- Gallantry Award Winners.

10. डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा : मुख्य तिथियाँ/ प्रश्न पत्र / परीक्षा स्तर।

10.1 डी.सी.ई.सी.ई.-2019 से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तिथियाँ :-

- Online Registration Starting Date :
- Online Registration Closing Date :(11:59 P.M.)
- Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card after submission of the Online Application Form of Registered Candidate : (11:59 P.M.)
- Online Editing of Application Form :to(11:59 P.M.)
- Issue of Online Admit Card :
- Proposed date of Examination:**
 - PM एवं PMD :
 - PE एवं PPE :

10.2 प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में रहेंगे तथा परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर निर्देशानुसार देंगे। सम्बन्धित निदेश अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है। वास्तविक प्रश्नों की संख्या नमूने के उत्तर पत्रक में दिये गये प्रश्नों की संख्या से भिन्न हो सकती है।

10.3 परीक्षा के क्रम एवं अवधि में प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक पर अंकित सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उत्तर-पत्रक की पीठ पर दिये गये गद्यांश को नीले / काले बॉल प्वाइंट कलम से अपनी हस्तलिपि में पूर्ण रूप से लिखकर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करना अत्यावश्यक है अन्यथा उनके उत्तर-पत्रक को रद्द कर दिया जायेगा।

10.4 पाठ्यक्रम समूहवार प्रश्न पत्र / परीक्षा की तिथि एवं अवधि / परीक्षा स्तर :

पॉलिटिकल अभियंत्रण PE, पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटिकल अभियंत्रण समूह PPE का सम्मिलित एक प्रश्न पत्र एवं पारा मेडिकल-डेन्टल PMD - (माध्यमिक स्तरीय) तथा पारा मेडिकल PM , (इंटरमीडिएट स्तरीय) समूहों के लिये अलग अलग प्रश्न पत्र की परीक्षा प्रवेश सत्र-2019 में नामांकन हेतु सम्पन्न की जायेगी।

पाठ्यक्रम-समूहवार प्रश्न- पत्र एवं परीक्षा की अवधि तथा परीक्षा स्तर निम्नलिखित हैं-

- प्रश्न पत्र - अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह (PE) एवं पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटिकल अभियंत्रण समूह (PPE) :**
तिथि 16.06.2019 प्रथम पाली (11.00 a.m. to 1.15 p.m.)

अवधि 2 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 450

विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक
भौतिक विज्ञान	30	150
रसायन विज्ञान	30	150
गणित	30	150
	-----	-----
	90	450

(नोट : परीक्षा माध्यमिक स्तरीय।)

(ii) प्रश्न पत्र - पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह (PM):

तिथि 17.06.2019 प्रथम पाली (11.00 a.m. to 1.15 p.m.)

अवधि 2 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 450

विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक
सामान्य विज्ञान (भौतिक / रसायन/ जीव विज्ञान)	25	125
अंकगणितीय योग्यता	15	75
हिन्दी	15	75
अंग्रेजी	15	75
सामान्य ज्ञान	20	100
	-----	-----
	90	450

(नोट : हिन्दी, अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान इंटरमीडिएट स्तरीय एवं सामान्य विज्ञान तथा अंकगणितीय योग्यता माध्यमिक स्तरीय।)

(iii) प्रश्न पत्र- पारा मेडिकल-डेंटल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह

(PMD): तिथि 17.06.2019 द्वितीय पाली (2.00 p.m. to 4.15

p.m.) अवधि 2 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 450

विषय	प्रश्न संख्या	पूर्णांक
भौतिक विज्ञान	20	100
रसायन विज्ञान	20	100
गणित	10	50
जीव विज्ञान	10	50
हिन्दी	10	50
अंग्रेजी	10	50
सामान्य ज्ञान	10	50
	-----	-----
	90	450

(नोट : परीक्षा माध्यमिक स्तरीय।)

उपरोक्त तिथियाँ विज्ञापन के माध्यम से दी जायेंगी।

10.4.1

अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह PE, पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण समूह PPE (माध्यमिक स्तरीय), पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PM और पारा मेडिकल-डेंटल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PMD में से जिन पाठ्यक्रम समूह/ समूहों के लिये किसी आवेदक को अर्हता प्राप्त है, उन पाठ्यक्रम समूह/ समूहों में से जितने पाठ्यक्रम समूह/ समूहों का उल्लेख उसने अपने मूल आवेदन पत्र के विहित स्थान पर किया है और तदनुसार कडिका-11.1(ii)(c) में उल्लिखित दर से परीक्षा शुल्क दिया है, केवल उन्ही पाठ्यक्रम समूह/ समूहों से संबंधित प्रश्न पत्र/ प्रश्न पत्रों में वह परीक्षा दे सकेगा।

10.4.2

उपरोक्त कडिका 10.4.1 के आलोक में आवेदकों की पात्रता के अनुसार उनके मूल आवेदन पत्र के विहित स्थानों पर उल्लिखित पाठ्यक्रम समूह / समूहों के लिए कडिका 10.4 में दिये गये पाठ्यक्रम समूहवार प्रश्न पत्र / परीक्षा तिथि एवं परीक्षा अवधि / परीक्षा स्तर के अनुसार प्रश्न पत्र / प्रश्न पत्रों में उन्हें परीक्षा देनी होगी।

(क)

जो आवेदक पॉलिटेकनिक (अभियंत्रण) पाठ्यक्रम समूह PE की परीक्षा हेतु अर्हता रखते हैं, वे पॉलिटेकनिक (अभियंत्रण) प्रवेश प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकेंगे। देखें कडिका 10.4.(i)।

(ख)

जो आवेदक पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण (PPE) पाठ्यक्रम समूह (माध्यमिक स्तरीय) PPE की परीक्षा हेतु अर्हता रखते हैं, वे पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण (PPE) प्रवेश प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकेंगे। देखें कडिका 10.4.(i)।

(ग)

जो आवेदक पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PM की परीक्षा हेतु अर्हता रखते हैं, वे पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय) प्रवेश प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकेंगे। देखें कडिका 10.4.(ii)।

(घ)

जो आवेदक पारा मेडिकल-डेंटल (माध्यमिक स्तरीय) पाठ्यक्रम समूह PMD की परीक्षा हेतु अर्हता रखते हैं, वे पारा मेडिकल-डेंटल (माध्यमिक स्तरीय) प्रवेश प्रश्न पत्र में परीक्षा दे सकेंगे। देखें कडिका 10.4.(iii)।

10.4.3 मेधा सूची :

PE / PPE / PMD / PM पाठ्यक्रम समूहों के लिये

10.5 यदि दो या दो से अधिक परीक्षार्थियों के कुल प्राप्तांक समान हों तो उनका मेधा क्रम निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित किया जायेगा:

स्तर क्रम	पॉलिटेकनिक अभियंत्रण / पार्ट-टाईम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभि. पाठ्यक्रम (माध्यमिक स्तरीय)	पारा मेडिकल-डेंटल पाठ्यक्रम (माध्यमिक स्तरीय)	पारा मेडिकल पाठ्यक्रम (इंटरमीडिएट स्तरीय)
1. प्राप्तांकों का जोड़ समान होने पर	गणित खंड में कुल प्राप्तांक के अनुसार	जीव विज्ञान खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार	सामान्य विज्ञान खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार
2. स्तर (1) समान होने पर	भौतिक विज्ञान खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार	रसायन विज्ञान खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार	अंक गणितीय योग्यता खंड के कुल प्राप्तांक के अनुसार
3. स्तर (2) समान होने पर	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो	जिसकी जन्म-तिथि पहले हो

निर्धारित प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर उस पाठ्यक्रम समूह के लिये कोटिवार मेधा के आधार पर उस पाठ्यक्रम समूह के लिये कोटिवार मेधा सूचियाँ बनाई जायेंगी। इस प्रकार पाठ्यक्रम समूहवार / कोटिवार बनाई गई मेधा सूचियों से पाठ्यक्रमवार/ कोटिवार उपलब्ध सीटों को पात्रता प्राप्त आवेदकों द्वारा मेधा- सह-विकल्प के आधार पर भरा जायेगा।

10.6

मेधा सूची/ परीक्षाफल तैयार करने में टंकण में या कम्प्यूटर से किसी प्रकार की गलती होने से नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा।

11.

आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क :

11.1

आवेदन प्रपत्र, विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क : DCECE (PE/PPE/PM/PMD)-2019 में सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका (Prospectus) पंफ्ट के Website bceceboard.bihar.gov.in से Download कर प्राप्त कर सकते हैं। Online आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी पंफ्ट के उक्त वेबसाईट पर जा कर "Apply for DCECE (PE/PPE/PM/PMD)-2019" Link पर Click करें। इसके उपरान्त आवेदन प्रपत्र भरने हेतु जो निर्देश (Instruction) दिखेगा, उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लें।

i. **Step-One (Registration) :**

इस परीक्षा हेतु Registration (निबंधन) के लिए सारी सूचनाएँ (Information) Step-1 के अंतर्गत कम्प्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन प्रपत्र में सही-सही अभ्यर्थी द्वारा भर कर देना होगा। अभ्यर्थी Registration करने के समय यह ध्यान रखें कि वे अपना ही email ID एवं Mobile No. का इस्तेमाल कर रहें हों, क्योंकि Registration से संबंधित सूचनाएँ उसी email ID एवं Mobile No. पर भेजा जाएगा। साथ ही साथ अभ्यर्थी को एक SMS प्राप्त होगा। प्राप्त किये गये email एवं sms में एक Activation Code भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल अभ्यर्थी अपने Account को Activate करने के लिए करेंगे। अभ्यर्थी अपने Account को Activate करने हेतु Activate Your Account बटन पर Click करें एवं अपना email ID एवं प्राप्त किये गये Activation Code को डालने के बाद Submit बटन पर Click करें। Account Activate होने के बाद अभ्यर्थी Sign In बटन पर Click करें एवं अपना Email ID एवं Password डालकर Sign In कर आगे की प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन प्रपत्र में भरे गए Password को गोपनीय रखें अन्यथा पंफ्ट किसी भी तरह की परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी के द्वारा दिया गया email ID ही उनका User Name होगा।

ii. **Step-Two (Personal Information) :**

सफलतापूर्वक Registration एवं अपने Account को Activate कर पुनः अपने Account में Sign In करने के उपरान्त कम्प्यूटर स्क्रीन पर Personal Information से संबंधित required entries पूरी तरह भरें एवं Save & Continue बटन पर Click करें।

iii. **Step-Three (Upload Photo & Signature) :**

Personal Information भरने के बाद अभ्यर्थी अपना उच्च कंट्रास्ट का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटों एवं अपना हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर कम्प्यूटर स्क्रीन में दिये गये निर्देश के अनुसार Scan कर निर्धारित स्थान पर Upload करें। फोटो Placard के साथ (जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटों खिंचवाने की तिथि अंकित हो) खिंचवाया हुआ ही प्रयोग में लाना आवश्यक है। निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर Upload करने के बाद Save & Continue बटन पर Click करें।

iv. **Step-Four (Educational Information) :**

Scan किया हुआ फोटो एवं हस्ताक्षर Upload करने के बाद अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी सूचनाओं (Educational Information) को कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकतानुसार भर कर Save & Continue बटन पर Click करें।

v. **Step-Five (Preview your Application) :**

Educational Information भरने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह जांच लें। यदि जांच के क्रम में Step-Two, Step-Three एवं Step-Four में दी गयी सूचना गलत पाई

जाती है तो अभ्यर्थी अपने उस सूचना को Back to Edit बटन पर Click कर अपने Information को सुधार कर Submit & Continue बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा पुनः दिये गये सूचनाएँ Update हो सकें।

भरे गए आवेदन प्रपत्र के Preview में सारी सूचनाएँ सही है तो अपना Declaration देकर Confirm & Submit बटन पर Click करें, ताकि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कर सकें।

vi. **Step-Six (Payment of Examination Fee) :**

अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सारी प्रविष्टियों के Preview को देखकर Submit करने के बाद Proceed to Payment बटन पर Click कर कम्प्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार Payment की प्रक्रिया को पूरी करें। जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाया नहीं जायेगा।

परीक्षा शुल्क जमा करने की निम्नांकित दो प्रक्रियाएँ हैं ;

a. **बैंक चालान के माध्यम से भुगतान :** अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क बैंक चालान के माध्यम से जमा करना चाहते हैं तो वे कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे Payment Mode से Offline / NEFT Challan Option को Select कर अपना Challan Download कर Print निकाल लें एवं किसी भी बैंक में निर्धारित तिथि तक जाकर NEFT के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को Update होने में लगभग 1 (एक) घंटे का समय लग सकता है। अगर उनका Payment Update नहीं होता है तो वे कम से कम 24 घंटे का इंतजार करें। अगर तब भी Payment Update नहीं होता है तो निर्धारित तिथि से पहले पंफ्ट कार्यालय आकर संपर्क करें। चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने पर उसमें लगने वाली अतिरिक्त राशि (Processing Charge) का भुगतान अभ्यर्थी को ही करना पड़ेगा।

b. **Online Payment :** अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान Online यथा; क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो वे कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे Payment Mode से Online Option को Select कर क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से करें। परीक्षा शुल्क जमा करने पर उसमें लगने वाली अतिरिक्त राशि (Processing Charge) का भुगतान अभ्यर्थी को ही करना पड़ेगा।

c. **उपरोक्त विधियों से परीक्षा शुल्क का भुगतान से संबंधित आवश्यक विवरणी निम्नवत् है ;**

(क) **किसी एक पाठ्यक्रम-समूह के लिये :** जो अभ्यर्थी सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हों उनको 750/- (सात सौ पचास) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग (DQ) कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 480/- (चार सौ अस्सी) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

(ख) **किन्ही दो पाठ्यक्रम-समूहों के लिये :** जो अभ्यर्थी सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हों उनको 850/- (आठ सौ पचास) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग (DQ) कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 530/- (पाँच सौ तीस) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

(ग) **किन्ही तीन पाठ्यक्रम-समूहों के लिये :** जो अभ्यर्थी सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हों उनको 950/- (नौ सौ पचास) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग (DQ) कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 630/- (छः सौ तीस) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

(घ) **सभी चार पाठ्यक्रम-समूहों के लिये :** जो अभ्यर्थी सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हों उनको

1150/- (एक हजार एक सौ पचास) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ विकलांग (DQ) कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 730/- (सात सौ तीस) रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

vii. Step-Seven (Download Part-A & Part-B) : पर्षद द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र की Hard Copy (Part-A एवं Part-B) Download कर Print निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें क्योंकि उसमें आपके द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियाँ एवं पर्षद द्वारा उपलब्ध कराया गया Registration No. होगा, जिसका उपयोग कॉउन्सेलिंग के समय या भविष्य में आपके द्वारा किया जा सकता है।

- नोट :** (a) Download किये गये आवेदन प्रपत्र की Hard Copy (Part-A एवं Part-B) को पर्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रपत्र को कॉउन्सेलिंग के समय पर्षद को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इसलिए अभ्यर्थी इस प्रपत्र को सुरक्षित रख लें।
- (b) उपरोक्त सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अन्तिम रूप से Online Application Form Submit करने के बाद Application Form में परिवर्तन / संशोधन का प्रावधान नहीं है।
- (c) अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि Application Form के Submission के बाद इसे न तो Withdraw किया जा सकेगा और न ही जमा किये गये परीक्षा शुल्क को लौटाने का अनुरोध ही स्वीकार किया जायेगा।
- (d) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

- 11.2 (i)** यदि अभ्यर्थी को Online Application Form भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना / फोटो / हस्ताक्षर Upload करने में गलती हुई है तो उसे सुधार करने हेतु Edit करने का मौका दिनांक 22.05.2019 से दिनांक 24.05.2019 तक दिया जाएगा।
- (ii)** Online Application Form में सुधार (Edit) केवल वैसे अभ्यर्थी ही कर सकते हैं, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना Online Application Form पूर्ण रूप से भर का सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा कर दिया हो।
- (iii)** अभ्यर्थी अपने Online Application Form में सुधार (Edit) करने हेतु Application के Home Page पर जाकर Sign In button को Click कर अपने email ID एवं Password को डालें एवं Submit बटन पर Click कर अपने Account में Login करें तथा आवश्यक सुधार कर Submit & Continue बटन पर Click करें, ताकि आपके द्वारा Edit किये गए Entries Update हो सकें एवं पुनः Edited आवेदन प्रपत्र की Hard Copy (Part-A एवं Part-B) Download कर Print निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें।

11.3 डी.सी.ई.सी.ई.-2019 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

- (i) Online Registration Starting Date : 27.04.2019
- (ii) Online Registration Closing Date : 18.05.2019 (11:59 P.M.)
- (iii) Last date of payment through Challan after submission of Online Application form of Registered candidate : 20.05.2019 (Upto Banking hour).
- (iv) Last date of payment through Net Banking / Debit Card / Credit Card after submission of the Online Application Form of Registered Candidate : 21.05.2019 (11:59 P.M.)
- (v) Online Editing of Application Form : 22.05.2019 to 24.05.2019 (11:59 P.M.)
- (vi) Issue of Online Admit Card : 04.06.2019
- (viii) **Proposed date of Examination -**
- (I) PE एवं PPE : 16.06.2019 (रविवार)
- (II) PM एवं PMD : 17.06.2019 (सोमवार)

11.4 अपूर्ण रूप से भरा गया या बदलाव अथवा छेड़-छाड़ किया गया

Online आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

11.5 परीक्षा शुल्क एक बार स्वीकार कर लिये जाने पर स्वीकार की गई राशि किसी भी हालत में आवेदक/ क्रेता को नहीं लौटाई जायेगी।

12. उपरोक्त कंडिका- 11 के अनुसार आवेदन पत्र भरने के लिये आवश्यक निर्देश :


12.1 परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम-समूह के विकल्प :

(i) प्रत्येक आवेदक अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जिन पाठ्यक्रम-समूहों के लिए परीक्षा देना चाहता है, और तदनुसार जिनके लिए उसने कंडिका 11 में उल्लिखित दर से परीक्षा शुल्क दिया है, उनका उल्लेख अपने आवेदनपत्र में विहित स्थान पर कर दे।

(ii) यदि कोई आवेदक एक या एक से अधिक या सभी पाठ्यक्रम समूहों के लिये अर्हतायें / वांछित योग्यतायें (देखें कंडिका 4/ 5/ 6/ 7) रखता है तो तदनुसार उसे उनमें से एक या एक से अधिक या सभी का उल्लेख अपने आवेदन पत्र के विहित स्थानों में करने और तदनुसार कंडिका 11 में उल्लिखित दर से परीक्षा शुल्क देने का विकल्प उपलब्ध है।

12.2 फोटोग्राफ :

(क) आवेदन प्रपत्रों (पार्ट-ए एवं पार्ट-बी) निर्दिष्ट स्थानों पर पासपोर्ट साईज (3.5 से.मी. x 4.5 से.मी.) रंगीन उच्च कंट्रास्ट के एक ही निगेटिव / स्नैप (Snap) से बना ऐसे फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से स्कैन कर लगायें / चिपकायें जो सामने से एक तख्ती (Placard) के साथ, जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो, के साथ खिंचवाये गये हो (डिजिटल फोटो जो कुछ समय के बाद धूमिल अथवा विलुप्त हो जाती है, लगाना वर्जित है)। उदाहरण के लिए नीचे का चित्र देखें ;



फोटो खिंचवाने की तिथि 01.01.2019 से पहले की नहीं होनी चाहिए।

(ख) प्रयोग में लाये गये फोटोग्राफ में दोनों कान नजर आने चाहिए। फोटोग्राफ अस्पष्ट (ओभर एक्सपोज्ड / अन्डर एक्सपोज्ड या डार्क) नहीं होने चाहिए और उनको खिंचवाते समय टोपी (कैप) एवं काला / रंगीन चश्मा (डार्क कलर्ड स्पेक्टैकल्स) नहीं लगा हो या अन्य प्रकार से अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं हो, अन्यथा संबन्धित आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

(ग) Downloaded आवेदन प्रपत्र (पार्ट-A एवं पार्ट-B) पर निर्देश के अनुसार फोटो चिपकाने के बाद, आवेदक निर्धारित स्थान पर अपना पूरा हस्ताक्षर हिन्दी तथा अंग्रेजी में करें। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा स्वहस्तलिपि में लिखी गयी

घोषणा के नीचे उनके पिता/ माता या अभिभावक की घोषणा के लिए उनका हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

12.3**नाम :**

अपना नाम तथा पिता का नाम आवेदन पत्र तथा संलग्न प्रपत्रों के सभी निर्धारित स्थानों पर माध्यमिक परीक्षा समिति/ समकक्ष परीक्षा संस्था/ विश्वविद्यालय के रेकॉर्ड की वर्तनी (spelling) के अनुसार ही लिखें।

12.4 कोटि (Category) :

12.4.1 आरक्षण हेतु उचित कोटि में स्थान पाने के लिए आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उचित कोटि निम्नलिखित संकेत के अनुसार भरें :

कोटि (Category)	संकेत
i. General Category (Unreserve) (वैसे आवेदक जो SC/ ST/ EBC/ BC में से किसी आरक्षण कोटि में दावा नहीं करते हों)	UR
ii. Scheduled Caste	SC
iii. Scheduled Tribe	ST
iv. Extremely Backward Caste	EBC
v. Backward Caste	BC

12.4.2 आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर आरक्षण के दावा के लिए आरक्षण की जिस कोटि (category) को अंकित करेंगे, वही कोटि परीक्षा एवं सीट / संस्थान के आवंटन हेतु मान्य होगी। एक बार अंतिम रूप से आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद किसी प्रकार का कोटि परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई आवेदक अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अंकित आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र कॉउनसेलिंग के समय संलग्न नहीं करता है अथवा निर्धारित स्थान पर आरक्षण कोटि अंकित नहीं करता है, तो उसे सामान्य [Unreserved (UR)] कोटि में समझा जायेगा। आवेदक की किसी गलती/ असावधानी के फलस्वरूप उसके किसी दावा के हनन होने का उत्तरदायित्व उसी आवेदक का होगा। यदि आवेदन प्रपत्र, पार्ट-A एवं पार्ट-B में भिन्न-भिन्न कोटि अंकित होगा तो आवेदन प्रपत्र पार्ट-A में अंकित कोटि ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

12.5 सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) :

12.5.1 यदि आप कॅडिका 9 के अनुसार सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) के लिये आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो निर्धारित स्थान पर 'Yes' भरें अन्यथा 'No' भरें।

12.5.2 यदि 'सैनिक कर्मचारी कोटा' के लिये निर्धारित स्थान में आपने 'Yes' भरा है और आप सैनिक कर्मचारी के पुत्र / पुत्री हैं तो निर्धारित स्थान पर सम्बन्ध अंकित करें।

12.6 शैक्षणिक अर्हतायें :

आवेदन पत्र पार्ट-A की कॅडिका 16 से 18 पर विवरण पुस्तिका की कॅडिका- 4.1, 5.1, 6.1 एवं 7.1 के अनुसार जो भी अर्हतायें आपके लिये लागू हों उनके लिये उत्तीर्ण परीक्षाओं का नाम तथा विषयवार प्राप्तांकों तथा प्रतिशत को भरें।

12.7 जन्म-तिथि :

जन्म-तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार क्रमवार तिथि, महीना तथा वर्ष अंग्रेजी अंकों में लिखें। जन्म-तिथि वही हो जो माध्यमिक परीक्षा (मैट्रिक परीक्षा) या समकक्ष दसवीं परीक्षा के लिए अभिलिखित हो।

12.8**लिंग (Sex) :**

निम्नांकित के अनुसार निर्धारित स्थान में लिंग अंकित करें :

- Male (पुरुष)
- Female (महिला)

12.9**आवासीय विवरण :**

आवेदनपत्र में उचित आवासीय विवरण भरें। इस डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है कि आवेदक आवासीय विवरण में उल्लिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प की पुष्टि करते हों (देखें कॅडिका 4.2 / 5.2 / 6.2 / 7.2)। इसके लिए निर्धारित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न करें (देखें कॅडिका-11.3.e)।

12.10**घोषणा :**

आवेदक के पिता / अभिभावक (यदि पिता जीवित न हों तो) तथा आवेदक के लिये निर्धारित अलग अलग घोषणा पत्र स्वहस्तलिपि में क्रमशः भरा एवं लिखा तथा हस्ताक्षरित होना चाहिये। आवेदक को अपनी घोषणा आवेदन पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर स्वहस्तलिपि में लिखकर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य है अन्यथा उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

12.11**जिला कोड :**

आवेदन पत्र के क्रमांक-15 में जिला का कोड निम्नलिखित के अनुसार भरें :

क्रमांक	जिला	कोड	क्रमांक	जिला	कोड
1.	पटना	01	20.	दरभंगा	20
2.	भोजपुर	02	21.	समस्तीपुर	21
3.	बक्सर	03	22.	मधुबनी	22
4.	रोहतास	04	23.	सहरसा	23
5.	भभुआ	05	24.	मधेपुरा	24
6.	नालन्दा	06	25.	सुपौल	25
7.	गया	07	26.	पूर्णिया	26
8.	नवादा	08	27.	कटिहार	27
9.	औरंगाबाद	09	28.	किशनगंज	28
10.	जहानाबाद	10	29.	अररिया	29
11.	सारण	11	30.	भागलपुर	30
12.	सिवान	12	31.	बांका	31
13.	गोपालगंज	13	32.	मुंगेर	32
14.	वैशाली	14	33.	बेगूसराय	33
15.	मुजफ्फरपुर	15	34.	खगड़िया	34
16.	सीतामढ़ी	16	35.	जमुई	35
17.	शिवहर	17	36.	लखीसराय	36
18.	पूर्वी चम्पारण	18	37.	शेखपुरा	37
19.	पश्चिमी चम्पारण	19	38.	अरवल	38
			39.	बिहार के बाहर	39
				अन्य सभी स्थान।	

उपरोक्त जिलों के कोड में से उचित कोड क्रमांक-15 के निर्धारित स्थान पर भरें। उचित कोड उसी जिले का होगा जिसमें वह स्कूल / कॉलेज / संस्थान अवस्थित है, जहाँ से आवेदक ने शैक्षणिक अर्हता प्राप्त की हो।

12.12 जाति प्रमाण पत्र :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विभिन्न कोटि के पिछड़े वर्ग के आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर उसकी छाया प्रति संलग्न (देखें कडिका-11.3.e) करना आवश्यक है। संलग्न जाति प्रमाण पत्र में प्रमाणित जाति आवेदक के मूल आवेदन पत्र में अंकित आरक्षण कोटि के लिए सुसंगत होना चाहिए।

12.13 Online भरे गये आवेदन पत्र Part-A एवं Part-B की हार्ड कॉपी कॉउन्सेलिंग के समय लाना अनिवार्य होगा।

13. आवेदन पत्र भरने से संबंधित विशेष सूचना :

आवेदन पत्र पार्ट-A एवं पार्ट-B में अंकित की गई सूचनाओं में यदि साम्य नहीं होगा तो आवेदन प्रपत्र पार्ट-A में अंकित की गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

14. डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रक्रिया :

14.1 प्रवेश पत्र :

- (क) प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के बाद उपयुक्त पाये गये आवेदकों के लिए परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पर्षद के Website: bceceboard.bihar.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है, जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्य (valid) होगा। प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह उसकी पीठ पर लिखे निर्देश अवश्य पढ़ लें।
- (ख) प्रत्येक परीक्षार्थी के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रवेश पत्र (Admit Card) को पाते ही उसमें अंकित सभी सूचनाओं / प्रविष्टियों की पूरी जाँच कर लें और उनमें यदि कोई त्रुटि हो तो परीक्षा नियंत्रक, बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड कार्यालय, आई.ए.एस. संघ भवन, पटना हवाई अड्डा के निकट, पटना में परीक्षा की तिथि से 5 (पाँच) दिन पहले तक किसी कार्य दिवस में 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न के बीच आकर अनिवार्य रूप से वांछित संशोधन हेतु सम्पर्क करें, अन्यथा इस तिथि के बाद कोई संशोधन नहीं किया जायेगा और प्रवेश पत्र (Admit Card) किसी प्रकार की त्रुटि के लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

प्रवेश पत्र पर परीक्षा के समय परीक्षार्थी को पूरा हस्ताक्षर करना आवश्यक है। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर हर पाली में वीक्षक के समक्ष, परीक्षा केन्द्र की प्रति पर भी होना आवश्यक है।

14.2 परीक्षा केन्द्र :

परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र उनके प्रवेश पत्र पर अंकित रहेगा। परीक्षार्थी निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा में सम्मिलित होंगे। किसी भी हालत में निर्धारित परीक्षा केन्द्र को बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

15. डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त:

15.1 साक्षात्कार / काऊन्सेलिंग :

- (i) डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त संबंधित मेधा सूची के अनुसार आवेदकों को कॉउन्सेलिंग सम्बन्धित सूचना उचित समय पर बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड के वेबसाइट " <http://bceceboard.bihar.gov.in> " पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जायेगी। मेधा-सह-विकल्प के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके मेधाक्रम पर उपलब्ध संस्थान / पाठ्यक्रम में से स्वेच्छानुसार संस्थान / पाठ्यक्रम के

चयन का अवसर दिया जायेगा। कॉउन्सेलिंग Online अथवा Offline निर्णयानुसार सम्पन्न किया जायेगा।

- (ii) चयनोपरान्त आवंटन आदेश उपलब्ध रिक्तियों एवं बिहार सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की आरंभिक तिथि तक लागू आरक्षण नियम के अनुसार निर्गत किया जायेगा। आरक्षित वर्ग में नामांकन हेतु प्रत्येक संस्थान को एक इकाई माना जायेगा।

- (iii) प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों तथा उनकी पहचान (Identity) की छान-बीन एवं जाँच के पश्चात अन्तिम रूप से योग्य पाये गये सभी अभ्यर्थियों को आवंटन आदेश के अनुसार निर्धारित तिथि तक चिकित्सकीय जाँच कराना होगा और योग्य पाये जाने पर निश्चित रूप से चयनित संस्थान / पाठ्यक्रम में नामांकन करा लेना होगा।

- (iv) परीक्षाफल / मेधासूची की तैयारी एवं प्रकाशन के दौरान छपाई में किसी प्रकार की भूल के आधार पर उम्मीदवार नामांकन हेतु आवंटन के लिये हकदार नहीं होंगे।

15.2 नामांकन शुल्क :

चयनित आवेदकों को नामांकन के समय कितनी रकम जमा करनी पड़ेगी, इसकी यथासम्भव जानकारी सम्बन्धित संस्थान द्वारा दे दी जायेगी।

- 15.3 उत्तर प्रपत्रों/ उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation), दुबारा जोड़ (Retotalling) आदि के लिए आवेदन नहीं लिये जायेंगे और न कोई संबंधित पत्राचार ही स्वीकार्य होगा।

- 15.4 (क) जो आवेदक अपने मूल आवेदन पत्र/ प्रपत्रों में या परीक्षा के समय उत्तर पत्रक / उत्तर-पुस्तिका में या प्रतियोगिता परीक्षा/ नामांकन की किसी भी प्रक्रिया में असत्य विवरण / सूचना देंगे या अनुचित तरीके अपनाते पाये जायेंगे या निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनको परीक्षा/ नामांकन हेतु आवंटन की प्रक्रिया से निष्कासित कर दिया जायेगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

- (ख) यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार में लिप्त होने अथवा Impersonation का दोषी पाया जाता है या परीक्षा कक्ष में मोबाईल / इलेक्ट्रॉनिक गैजेट / ब्लूटूथ का उपयोग करते अथवा उसके / उनके साथ पकड़ा जाता है तो नामांकन हेतु उसकी / उनकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी और उसके / उनके विरुद्ध वैधिक कार्रवाई के साथ उसे / उन्हें अगले तीन वर्षों तक पर्षद द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित (Debar) कर दिया जायेगा।

15.5 ए.एन.एम पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों (केवल महिलाएँ) हेतु निर्देश :-

- (i) स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 435(6) दिनांक 10.06.1996 के अनुसार ए.एन.एम. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के 6 महीने के अन्दर यदि सरकार समायोजित करती है तो उन्हें कम से कम पाँच वर्ष तक बिहार सरकार की सेवा करने का शर्तनामा देना होगा, अन्यथा ऐसे उम्मीदवारों से पाठ्यक्रम के दौरान हुए सरकारी खर्च सूद समेत वसूल किये जायेंगे। "स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-508 (प.नि., पी.एम.सी.) दिनांक 11.02.2012 के अनुसार न्यूनतम योग्यता इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण हैं।"

- (ii) चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये। प्रशिक्षणार्थियों की सामान्य स्वास्थ्य जाँच प्रत्येक वर्ष की जायेगी तथा उसका अभिलेख संधारित

- क्रिया जायेगा।
- (iii) आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणार्थियों को संक्रामक बीमारियों के प्रशिक्षण में भी भेजा जा सकता है।
- (iv) प्रशिक्षण अवधि में निम्नांकित अवकाश देय होगा -
 (क) वार्षिक अवकाश - 30 (तीस) दिन।
 (ख) आकस्मिक अवकाश (एक वर्ष में) 10 दिन जो दूसरे वर्ष में नहीं जोड़ा जायेगा (ले जाया जायगा)।
 (ग) परीक्षा की तैयारी के लिये अवकाश-7 (सात) दिन।
- (v) वैसे प्रशिक्षणार्थी जो किसी लम्बी बीमारी या संक्रामक रोग के कारण प्रशिक्षण से वंचित रह गये हो तो उन उम्मीदवारों को पुनः प्रशिक्षण की अनुमति संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक / सिविल सर्जन द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के उपरान्त ही दिया जायगा।
- (vi) D.C.E.C.E.– (P.E./P.P.E./P.M.D./P.M.)-2019 के आधार पर ए.एन.एम. पाठ्यक्रम में सफल महिला उम्मीदवार अगर गर्भवती हो तो उसका नामांकन तो हो सकेगा लेकिन तत्काल वह प्रशिक्षण के योग्य नहीं मानी जायेगी। ऐसी उम्मीदवार गर्भावस्था समाप्त होने के बाद पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के उपरान्त सम्बन्धित अधीक्षक/ प्राचार्य / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चि. पदाधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् से योग्य होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य मानी जायगी। ऐसी उम्मीदवारों को परीक्षा में तभी सम्मिलित होने दिया जायगा; जब वे उपरोक्त अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगी। यह नियम उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो प्रशिक्षण के दौरान भी गर्भवती होगी।
- (vii) प्रशिक्षण की अवधि में सभी महिला प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास में ही रहना होगा।
- (viii) सरकार के आदेशानुसार नामांकित प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

15.6 स्टाफ ग्रेड-ए नर्सिंग पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों (केवल महिलाएँ) हेतु निर्देश :-

- (i) स्वा. विभागीय संकल्प संख्या 435(6) दिनांक 10.06.1996 के अनुसार जी.एन.एम. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सफल उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम पूरा करने के 6 महीने के अन्दर यदि सरकार समायोजित करती है तो उन्हें कम से कम पाँच वर्ष तक बिहार सरकार की सेवा करने का शर्तनामा देना होगा, अन्यथा ऐसे उम्मीदवारों से पाठ्यक्रम के दौरान हुए सरकारी खर्च सूद समेत वसूल किये जायेंगे।
- (ii) चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये। प्रशिक्षणार्थियों की सामान्य स्वास्थ्य जाँच प्रत्येक वर्ष की जायेगी तथा उसका अभिलेख संधारित किया जायेगा।
- (iii) आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणार्थियों को संक्रामक बीमारियों विषयक प्रशिक्षण में भी भेजा जा सकता है।
- (iv) प्रशिक्षण अवधि में निम्नांकित अवकाश देय होगा -
 (क) वार्षिक अवकाश - 30 (तीस) दिन।
 (ख) आकस्मिक अवकाश (एक वर्ष में) 10 दिन जो दूसरे वर्ष में नहीं जोड़ा जायेगा (ले जाया जायगा)।
 (ग) परीक्षा की तैयारी के लिये अवकाश-7 (सात) दिन।
- (v) वैसे प्रशिक्षणार्थी जो किसी लम्बी बीमारी या संक्रामक रोग के कारण प्रशिक्षण से वंचित रह गये हों, उन्हें पुनः प्रशिक्षण की अनुमति संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक / सिविल सर्जन द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के उपरान्त ही दी जायगी।

- (vi) D.C.E.C.E.– (P.E./P.P.E./P.M.D./P.M.)-2019 के आधार पर स्टाफ ग्रेड-ए नर्सिंग पाठ्यक्रम में सफल महिला उम्मीदवार अगर गर्भवती हो तो उसका नामांकन तो हो सकेगा लेकिन तत्काल वह प्रशिक्षण के योग्य नहीं मानी जायेगी। ऐसी उम्मीदवार गर्भावस्था समाप्त होने के बाद पूर्ण स्वास्थ्यलाभ-प्राप्ति के उपरान्त सम्बन्धित अधीक्षक/ प्राचार्य / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चि. पदाधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद् से योग्य होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य मानी जायगी। ऐसी उम्मीदवारों को परीक्षा में तभी सम्मिलित होने दिया जायगा जब वे उपरोक्त अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगी। यह नियम उन सभी उम्मीदवारों पर भी लागू होगा जो प्रशिक्षण के दौरान गर्भवती हों।
- (vii) प्रशिक्षण की अवधि में सभी महिला प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास में ही रहना होगा।
- (viii) सरकार के आदेशानुसार नामांकित प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

16. अन्य आवश्यक सूचनाएँ :

- 16.1 परीक्षा-संबंधी सभी कार्य एवं मेधा सूची इत्यादि का संचालन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद करेगा। पर्षद द्वारा परीक्षा-संबंधी सभी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होंगे।
- 16.2 इस विवरण पुस्तिका में दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त यदि किसी विशेष संस्थान के विषय में अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो उस संस्थान के अधिकारी से सीधे पत्राचार करें।
- 16.3 बिहार सरकार / बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को इस विवरण पुस्तिका में सम्मिलित नियमों / प्रावधानों / सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा। संशोधित / परिवर्तित किये गये नियमों/ प्रावधानों / सूचनाओं से संबंधित जानकारी आवेदकों को उनके साक्षात्कार के समय या उसके पूर्व ही यथासाध्य सूचित कर दिया जायेगा। साक्षात्कार / काऊन्सेलिंग के लिए बुलाये गये अभ्यर्थी को इस विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में दर्ज सभी प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ तथा प्रवेश पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इनमें से एक भी वाँछित मूल प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसे नामांकन से वंचित किया जा सकता है।
- 16.4(i) (ii) कानूनी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में वाद (Case) के अंतिम निर्णय होने तक आवेदक को नामांकन / प्रशिक्षण से वंचित रखा जायेगा और बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड के पक्ष में निर्णय होने पर उम्मीदवार पर हुये सभी खर्च ब्याज के साथ उम्मीदवार से वसूल किया जा सकता है।
- (iii) विद्यालय/ महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र(School/ College Leaving Certificate) नामांकन के समय लाना पड़ेगा।
- (iv) यदि अभ्यर्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / बिहार इंटरमीडिएट कौंसिल के अलावे किसी अन्य संस्थान से पात्रता-परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो उसे काऊन्सेलिंग की तिथि से दो महीनों के अन्दर प्रवजन (Migration) प्रमाण पत्र जमा करना होगा। परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा पूर्व / परीक्षा की अवधि / परीक्षा उपरांत निर्गत सभी निर्देश, पर्षद के वेबसाईट / समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित सूचना / नियम एवं संलग्न अनुसूची / सारिणी इस विवरण पुस्तिका के ही भाग होंगे।
- 16.5(i) (ii) उत्तर पत्रक पर अंकित गद्यांश को परीक्षार्थी द्वारा अपनी हस्तलिपि में निर्धारित स्थान पर पूर्ण रूप से लिख कर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायगा।

- 16.6** मेधा सूचियों में सम्मिलित आवेदकों को समय-समय पर पर्षद की वेबसाइट / समाचार पत्रों के माध्यम से आवश्यक सूचनायें दी जाती रहेंगी। उत्सुकतावश बार-बार अनावश्यक पत्र अपनी ओर से कृपया न लिखें क्योंकि ऐसे पत्रों का उत्तर देना संभव नहीं होगा।
- 16.7** नामांकन-प्रक्रिया-समाप्ति की घोषित तिथि के बाद किसी भी संबंधित संस्थान/ पाठ्यक्रम/ ब्रांच में किसी प्रकार की रिक्तियाँ फिर नहीं भरी जायेंगी।
- 16.8** D.C.E.C.E. (P.E./P.P.E./P.M.D./P.M)-2019 की विवरण पुस्तिका/ आवेदन पत्र/ अन्य प्रपत्र आदि में सम्मिलित किसी नियम/ सूचना को परिवर्तित/ विलोपित करने अथवा जोड़ने का अधिकार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के पास सुरक्षित है।
- 16.9** परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत हो जाने से ही नामांकन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगर यह पता चलता है कि किसी अभ्यर्थी को निर्धारित अर्हता नहीं है या इसमें ऐसी अयोग्यता पायी जाती है जिस कारण नामांकन हेतु उसकी पात्रता की पुष्टि नहीं होती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- 16.10** मेधा-सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अपने खर्च से स्वयं कॉउन्सेलिंग / इन्टरभ्यू में, प्रमाण पत्रों एवं पहचान की जाँच आदि के लिये निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन हेतु वे अपना दावा खो देंगे।
- 16.11** अगर कोई अभ्यर्थी इस प्रतियोगिता परीक्षा के पूर्व, परीक्षा में या परीक्षा के उपरान्त, मेधा-सूची प्रकाशन के बाद या / एवं नामांकन होने के पश्चात् कभी भी गलत / त्रुटिपूर्ण या नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, कदाचार में लिप्त होने अथवा इम्प्रसोनेशन का दोषी पाया जाता है तो नामांकन हेतु उसकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जायेगी।
- 16.12** इस परीक्षा के लिये यदि किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो इसके लिए उसे सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।
- 16.13** विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा पॉलिटैकनिक अभियंत्रण (PE) एवं पार्ट-टाईम पॉलिटैकनिक अभियंत्रण (PPE) पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित तथा स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा पारा मेडिकल डेंटल (PMD) एवं पारा मेडिकल (PM) पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित यदि कोई परिवर्तन / संशोधन / प्रावधान / दिशा निर्देश विधिवत संसूचित किया जाता है तो वह डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2019 की विवरण पुस्तिका में समावेशित समझा जायेगा और उसकी सूचना विज्ञापन द्वारा कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के पूर्व / समय दे दी जायेगी।
- 16.14** इस प्रतियोगिता परीक्षा के संचालन तथा आवेदन से संबंधित सभी विवाद केवल पटना नगर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर ही दायर किये जायेंगे और मान्य होंगे। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के लिये परीक्षा नियंत्रक ही वैधिक व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से पर्षद वाद दायर कर सकेगा अथवा पर्षद के विरुद्ध वाद दायर किये जा सकेंगे।

परिशिष्ट- 1

सारणी-1.1 :- राजकीय पॉलिटिकल संस्थानों में त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सीटों की विवरणी (सत्र 2018 के आधार पर)।

(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	शाखा का नाम	सीटों की संख्या		अतिरिक्त सीटें
			कुल सीटें	सैनिक कोटा (कुल सीटों में सम्मिलित)	
1.	नवीन राजकीय पॉलिटिकल, पटना-13	असैनिक अभियंत्रण	60+5*	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60+5*	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60+5*	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण (ऑटोमोबाईल)	30	1	2
		कम्प्यूटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60+10	1	3
2.	राजकीय पॉलिटिकल, पटना-7	असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		केमिकल इंजि.(सिरामिक्स अभियंत्रण)	30	1	2
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		टेक्सटाईल इंजी.	30	1	2
		मेकेनिकल इंजि. (प्रिन्टिंग टेक्नोलॉजी)	30	1	1
		कम्प्यूटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60	1	3
3.	राजकीय पॉलिटिकल, मुजफ्फरपुर	असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		कम्प्यूटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
4.	राजकीय पॉलिटिकल, भागलपुर	असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		कृषि अभियंत्रण	30	1	2
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		टेक्सटाईल अभियंत्रण	30	1	1
		कम्प्यूटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60	1	3
5.	राजकीय पॉलिटिकल, सहरसा	असैनिक अभियंत्रण	60+5*	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60+5*	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60+10	1	3
		कम्प्यूटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60+5*	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
6.	राजकीय पॉलिटिकल, गया	असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		कम्प्यूटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
7.	राजकीय पॉलिटिकल, दरभंगा	असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		कम्प्यूटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
8.	राजकीय पॉलिटिकल, बरौनी	असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		केमिकल अभियंत्रण	30	1	1
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		कम्प्यूटर साइंस एण्ड अभियंत्रण	60	1	3

9.	राजकीय पोलिटेकनिक, पूर्णिया	असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		कम्प्युटर साइंस एंड अभियंत्रण	60	1	3
10.	राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा	असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		मेकेनिकल अभि.(ऑटोमोबाइल अभि.)	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		कम्प्युटर साइंस एंड अभियंत्रण	30	1	1
11.	राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज	असैनिक अभियंत्रण (रुरल अभि.)	60+5*	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60+5*	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60+5*	1	3
		कम्प्युटर साइंस एंड अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60+5*	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60+5*	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
12.	राजकीय पोलिटेकनिक, कटिहार	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
13.	राजकीय पोलिटेकनिक, वैशाली	यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
14.	राजकीय पोलिटेकनिक, लखीसराय	यांत्रिक अभियंत्रण	30	1	1
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	30	1	2
		विद्युत अभियंत्रण	30	1	1
		असैनिक अभियंत्रण	30	1	2
15.	राजकीय पोलिटेकनिक, डिहरी-ऑन-सोन	यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
16.	राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावां (नालंदा)	यांत्रिक अभियंत्रण	30	1	2
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	30	1	1
		विद्युत अभियंत्रण	30	1	2
		असैनिक अभियंत्रण	30	1	1
17.	राजकीय पोलिटेकनिक, शिवहर	यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
18.	राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी	यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
19.	राजकीय पोलिटेकनिक, मधुबनी	यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
20.	बी.के.पोलिटेकनिक संस्थान, सीतामढ़ी	यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3

34.	राजकीय पॉलिटेकनिक, सीतामढ़ी	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	120	1	6
35.	राजकीय पॉलिटेकनिक, अररिया	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
36.	राजकीय पॉलिटेकनिक, नवादा	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
37.	राजकीय पॉलिटेकनिक, सीवान	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		यांत्रिक अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		असैनिक अभियंत्रण	60	1	3
38.	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना-14। (केवल महिलाओं के लिए)	कम्प्युटर साइंस एंड अभियंत्रण	60	1	3
		विद्युत अभियंत्रण	60	1	3
		इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		मैनेजमेंट टेक. (मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस)	30	1	1
		मैनेजमेंट टेक. (लाइब्रेरी एवं इन्फोरमेशन साइंस)	30	1	1
		आर्किटेक्चरल असिस्टेन्टशीप	30	1	2
39.	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर। (केवल महिलाओं के लिए)	इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	60	1	3
		कम्प्युटर साइंस एंड अभियंत्रण	60	1	3
		मैनेजमेंट टेक. (मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस)	30	1	2
		मैनेजमेंट टेक. (लाइब्रेरी एवं इन्फोरमेशन साइंस)	30	1	1
		टेक्सटाईल टेक. (कस्ट्युम डिजाईन एण्ड गा.मे.)	30	1	2
(सरकारी संस्थानों की सीटें) कुल			10035	175	498

- नोट :**
- संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काऊन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
 - दिव्यांग कोटा की सीटें दिव्यांगों के लिये प्रत्येक संस्थानों की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं (देखें कंडिका-8.5)।
 - संस्थानवार/ पाठ्यक्रमवार/ आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरण की सूचना विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से प्राप्त होने के बाद काऊन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।
 - उपरोक्त सीटें अभातशिप से अनुमोदन की प्रत्याशा में औपबन्धिक रूप से विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार द्वारा भेजी गयी हैं।
 - सैनिक कर्मचारी कोटा की आरक्षित सीटों पर, जो सम्बन्धित पाठ्यक्रम की कुल सीटों में सम्मिलित हैं, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार से अनुमति प्राप्त होने पर ही नामांकन निर्देशानुसार हो सकेगा।
 - परिशिष्ट-1 के कॉलम-6 में दर्शायी गयी अतिरिक्त सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हैं जिनके माता-पिता (जीवित नहीं होने पर अभिभावक) की वार्षिक आय 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये से कम है (देखें कंडिका-8.5.3)।
 - तारांकित सीटें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये अलग से उपलब्ध हैं [देखें कंडिका-8.5.(iii)]।

सारणी 1.2 :- पार्ट टाईम चार वर्षीय पॉलिटेकनिक अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सीटों की विवरणी :

(सत्र 2018 के आधार पर)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	शाखा का नाम	सीटों की संख्या
1	2	3	4
1.	नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना-13	असैनिक अभियंत्रण विद्युत अभियंत्रण यांत्रिक अभियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	30 30 30 30
कुल सीट :-			120

- नोट :**
- संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काऊन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
 - दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं (देखें कॉडिका-8.5)।
 - संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काऊन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।
 - उपरोक्त सीटें अभातशिप से अनुमोदन की प्रत्याशा में औपबन्धिक रूप से विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार द्वारा भेजी गयी हैं।
 - परिशिष्ट-1 के कॉलम-6 में दर्शायी गयी अतिरिक्त सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है जिनके माता-पिता (जीवित नहीं होने पर अभिभावक) की वार्षिक आय 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये से कम है (देखें कॉडिका-8.5.3)।

परिशिष्ट-1

सारणी-1.3 : प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सीटों की विवरणी

Sl. No.	Institute	Civil Engg.	Computer Science & Engg.	Electrical Engg.	Electronics & Commu. Engg.	Mechanical Engg.	Mechanical Engg. (Auto)	Electronics Engg.	Electrical & Electronics Engg.	Total
1	Prabhu Kailash Polytechnic, Aurangabad	60	60	60	60	60	-	-		300
2	J.P. Institute of Technology, Biharsharif	120	-	60	-	120	-	-		300
3	Exalt College of Polytechnic, Kanhauli, Hajipur	120	-	60	-	60	60	-		300
4	Ganga Memorial College of Polytechnic, Harnaut, Nalanda	60	-	60	-	60	-	60		240
5	GEMS Polytechnic College, Jogiyamore, Ratanpur, Aurangabad	60	60	60	-	60	-	-	60	300
6	Budha Polytechnic College, Sirsaviran, Lalganj, Vaishali	60	-	60	60	60	-	-	-	240
7	Budha Polytechnic Institute, Industrial Area, Gaya	120	-	120	-	120	-	60		420
Total of Sanctioned Seats		600	120	480	120	540	60	120	60	2100

नोट: i. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की विवरणी एवं पूर्ण वितरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद

ii. दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित रहेंगी ।

iii. संस्थान / पाठ्यक्रम / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा ।

परिशिष्ट - 2

पारा मेडिकल-डेन्टल (माध्यमिक स्तरीय)

सारणी 2.1 :- पारा मेडिकल-डेन्टल पाठ्यक्रम के लिए सीटों की विवरणी

(सत्र 2018 के आधार पर)

(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

क्र.सं. पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान का नाम	सीटों की संख्या
1	2	3
1. Dresser	PMC, Patna	30
	NMC, Patna	30
	DMC, Darbhanga	30
	JLNMC, Bhagalpur	30
	ANMMC, Gaya	30
	SKMC, Muzaffarpur	30
	VIMS, Pawapuri, Nalanda	30
	GMC, Bettiah	30
	Under Civil Surgeon : Patna	5
	Under Civil Surgeon : Gaya	5
	Under Civil Surgeon : Ara	5
	Under Civil Surgeon : Bhagalpur	5
	Under Civil Surgeon : Munger	5
	Under Civil Surgeon : Purnea	5
	Under Civil Surgeon : Saharsa	5
	Under Civil Surgeon : Muzaffarpur	5
	Under Civil Surgeon : Darbhanga	5
	Under Civil Surgeon : Saran	5
	Under Civil Surgeon : Madhepura	5
	Under Suptd. MJK Sadar Hosp., Bettiah	5
Total Seats		300

- नोट :**
- i. संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
 - ii. दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।
 - iii. संस्थानवार / आरक्षण कोटिवार सीटों के पूर्ण विवरण की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।

पारा मेडिकल (इन्टरमीडिएट स्तरीय)

सारणी 3.1A : पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए A.N.M. पाठ्यक्रम के सीटों की विवरणी :

(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

(सत्र- 2018 के आधार पर)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान का नाम	सीटों की संख्या
1.	Nursing	A.N.M. School, Bhojpur	90
2.	Nursing	A.N.M. School, Bihar Sharif	100
3.	Nursing	A.N.M. School, Barh	50
4.	Nursing	A.N.M. School, Purnea	50
5.	Nursing	A.N.M. School, Kishanganj	50
6.	Nursing	A.N.M. School, Begusarai	50
7.	Nursing	A.N.M. School, Madhubani	90
8.	Nursing	A.N.M. School, Hazipur, Vaishali	50
9.	Nursing	A.N.M. School, Sitamarhi	50
10.	Nursing	A.N.M. School, Motihari	90
11.	Nursing	A.N.M. School, Bettiah	70
12.	Nursing	A.N.M. School, Chapra (Saran)	90
13.	Nursing	A.N.M. School, Katihar	50
14.	Nursing	L.H.V.. School, Patna City	120
15.	Nursing	A.N.M. School, Hathwa, Gopalganj	30
16.	Nursing	A.N.M. School, Saharsa	50
17.	Nursing	A.N.M. School, Muzaffarpur	90
18.	Nursing	A.N.M. School, Bhagalpur	100
19.	Nursing	A.N.M. School, Samastipur	50
20.	Nursing	A.N.M. School, Gaya	140
21.	Nursing	A.N.M. School, Munger	30
22.	Nursing	A.N.M. School, Islampur	40
23.	Nursing	A.N.M. School, Shivhar	60
24.	Nursing	A.N.M. School, Khagaria	60
25.	Nursing	A.N.M. School, Lakhisarai	60
26.	Nursing	A.N.M. School, Laxmipur, Jamui	60
27.	Nursing	A.N.M. School, Rajauli, Nawada	60
28.	Nursing	A.N.M. School, Daudnagar, Aurangabad	60
29.	Nursing	A.N.M. School, Mairwa, Siwan	60
30.	Nursing	A.N.M. School, Bhabhua, Kaimur	60
31.	Nursing	A.N.M. School, Triveniganj, Supaul	60
32.	Nursing	A.N.M. School, Jale, Darbhanga	60

TOTAL

2130

- नोट :**
- संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
 - दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।
 - संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरणी की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।
 - भारतीय नर्सिंग कॉन्सिल, नई दिल्ली से मान्यता / अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नामांकनार्थ कार्रवाई होगी।

परिशिष्ट - 3**पारा मेडिकल (इन्टरमीडिएट स्तरीय)****सारणी 3.1B : पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए गैर सरकारी संस्थानों की A.N.M. पाठ्यक्रम के सीटों की विवरणी:**

S.N.	Name of Private ANM School in Bihar	District	Seat	50 % of state quota
1	Yogendra Institute of Nursing, Anaith, Arah, Bihar.	Arah	20	10
2	Shri Bhagwat Prasad Singh Memorial ANM Training School, Deo More,G.T.Road,N.H-2, Madanpur, Aurangabad.	Aurangabad	40	20
3	Modern Institute of Nursing, Dahua, Post-Dahua, P.S.-Bounsi, Banka-813104	Banka	60	30
4	GM Paramedical College, Pipra Dodraj, P.O-Nonpur, Teghara, Begusarai.	Begusarai	40	20
5	Om Sai Shiv Nursing College, Chhoti Aghu, Mohan Aghu, Begusarai.	Begusarai	30	15
6	Yamuna Institute of Nursing, Bishanpur, Multispeciality, Hospital Campus, Begusarai.	Begusarai	40	20
7	Mother Teresa Nursing School, Araura, Pakri, Arah.	Bhojpur	30	15
8	S.R.T. Memorial ANM Training School,Bhilai Road, Arrah, (Bhojpur)	Bhojpur	60	30
9	Akash Nursing Training Institute, Near Baba Dharamkanta Golambar, Machhatapul, Buxar.	Buxar	20	10
10	Medical Training Sanstha, Jaso Road, Tehsil, Dist.-Buxar	Buxar	25	13
11	Darbhanga Nursing School, Shivdhara, P.S.- LNM University Campus, Dist.-Darbhanga	Darbhanga	40	20
12	Khawaja Garib Nawaj School of Nursing, Saidnagar, Inside of Vishwakarma Mandir, Laheriasarai, Darbhanga-84600 I	Darbhanga	60	30
13	Maharishi Dayanand Institute of Nursing, Horalpatti, Laheriasarai, Darbhanga.	Darbhanga	20	10
14	R.B Memorial School of Nursing, R.S. Tank, Darbhanga.	Darbhanga	50	25
15	Benipur Nursing Training Sansthan,Benipur, Bahera, Darbhanga-847103	Darbhanga	60	30
16	S.N.S. Institute of Nursing Sciences, Motihari, East Champaran	E-Champaran	50	25
17	Budha Institute of Health Education, ANM Training School, Singra Asthan, Police Line, Gaya.	Gaya	40	20
18	Vivekanand ANM Training School,Bodh Gaya Main Road, Kendui, Gaya.	Gaya	30	15
19	Nazma Institute of Nursing Education, Pipara Khas, Mirganj, Gopalganj	Gopalganj	50	25
20	Swami Vivekanand Nursing School,At.- Madhav Villa, Chakai Road, Simultalla, Jamui.	Jamui	40	20
21	Dhano Devi ANM Nursing Training School, Vill.-Batragibag, Ward No. 31 , P.O.-Bharthua, P.S.-Jehanabad, Dist.- Jehanabad	Jehanabad	30	15
22	Shyam School of Nursing, Karona, Jehanabad- 804417,	Jehanabad	50	25
23	Kingway Technical Institute ANM School, GT Road, Kulharia, P.O-Karmnasha Durgawati, Kaimur, Bhabhua.	Kaimur	30	15
24	Maa Mundeshwari Para Medical and Nursing Training Sansthan, Vill+P.P.-Odar, P.S.-Sonhan, Dist.-Kaimur.	Kaimur	30	15
25	Paras ANM Training School, Lalapur, Kuda, Kaimur.	Kaimur	30	15
26	Sarvoday Institute of Nursing and Paramedical,Darawa, Post-Mohania,Kaimur.	Kaimur	30	15
27	Mother Teresa Nursing School, At.-Behind Military Camp, Mongra Fatak Dalan, Katihar.	Katihar	40	20
28	Shyam Lal Chandra ShekharNursing-School, N.H.-31, Parmanandpur, Khagaria.	Khagaria	40	20
29	Nazirul Hassan Institute of Higher Education, Sonihar, Dist.-Khagaria-848201	Khagaria	55	28
30	B.S.Institute of Nursing and Paramedical Sciences, Madhuban, Madhepura-852113	Madhepura	60	30
31	Dr. Nesar Haider Institute of Nursing Science's, At.& P.O Sakri, Taluk-Pandaul, Madhubani.	Madhubani	20	10
32	Maa Bhagwati ANM Training School, C/O-Lokesh Thakur, House No.-6, Word No.-16, Kotwali Chowk, Madhubani.	Madhubani	20	10
33	Manorama Devi Sikaria ANM Training School, Radha Nagar, Nacckched Tola, Motihari-84540I	Motihari	40	20
34	Aayushman Nursing Training Institute, Sriramnagar, Bhagwanpur, P.S.-Sadar Taluk, Mushhari, Muzaffarpur.	Muzaffarpur	40	20
35	Mata Vaishnavi ANM Training Institute, Near New Police Line Chowk, Muzaffarpur.	Muzaffarpur	40	20
36	Naina Nursing Training Institute, NH-77, Madhaul, P.O.-Susta Madhopur, P.S.-Kudhani, Muzaffarpur.	Muzaffarpur	40	20
37	Saroj Nursing Institute, Race Course Chakkar Maidan, Near Prabhat Tara School, Mushhari, Muzaffarpur	Muzaffarpur	30	15
38	Sadhu Sharan Singh Institute of Health Education,Sir Ganesh Datt Nagar, Bhagwanpur, Muzaffarpur.	Muzaffarpur	30	15
39	Doon Institute of Nursing ANM Training School, Village-Dodhi Anandkar,Post-Keshrawan, P.S- Kudhani, Muzaffarpur-844118	Muzaffarpur	60	30
40	Mahavir Nursing School, NH-28, Lasgaripur, kanti , Muzaffarpur	Muzaffarpur	50	25
41	Anju Institute of Nursing Science's, At-Islampur, Dist.- Nalanda, Bihar.	Nalanda	20	10
42	Budha Institute of Health Education, Beldar Bigha, PO- Goraur, PS.-Chabilapur Road, Rajgir, Nalanda.	Nalanda	40	20
43	D.P. Singh Institute of Education, Gautam Nagar, Shahpur, Bhaganbigha Rahui, Bihar Sharif, Nalanda.	Nalanda	20	10
44	Gautam Institute of Nursing and Paramedics, At- Bhaganbigha, Block-Rahui, Biharsharif, Nalanda.	Nalanda	50	25
45	Gautam Institute of Nursing, Chandi-Hilsa Road, P.O.-Jaitpur Tharthari, Chandi, Hilsa, Nalanda.	Nalanda	20	10
46	Mata Sushila Institute of Education, Saiyad Bahri, Hilsa Chandi Road Hilsa, Nalanda	Nalanda	40	20
47	Mother Teresa School of Nursing, 2nd Floor Mamta Hospital Ranchi Road, Bihar Sharif, Nalanda. ..	Nalanda	40	20
48	Nalanda Nursing School, Dinkar Nagar, Rajgir Road, Nalanda.	Nalanda	40	20
49	National Institute of Nursing and Paramedical Science, At+P.O.-Chandi, Nalanda,	Nalanda	20	10
50	Raj Aryan Nursing and Paramedical College (ANM Nursing School) Mohaddipur, Ramghat, Nalanda-801305	Nalanda	60	30
51	Vaidhnath College of Education, Saur Chandipur, Post-Rajapur, P.S.-Warshaliganj, Nawada-805104	Nawada	60	30
52	Ambedkar Institute of Higher Education ANM School, Own Campus, Chhitnawa, Danapur, Patna. ..	Patna	60	30
53	Bhavya shree Institute of Nursing ANM Training School, Bhagwat Nagar, Kumhrar, Patna.	Patna	60	30

54	Bihar Institute of Nursing and Para-Medical, At-Jaitipur, P.S.- Neora, Patna, Bihar.	Patna	30	15
55	Dhanarua School of Nursing, Ebrahimpur Awadhara, P.o.- Pavery, Dhanarua, Patna.	Patna	40	20
56	Himalaya Institute of Higher Education, Khemnichak, Subhash Nagar, New By Pass Road, Patna.	Patna	20	10
57	MGM Nursing Training School, Opp Chandan Auto Mobile Hero Showroom, Kankerbagh, Patna. ...	Patna	40	20
58	Maa Kanti School of Nursing, Ray Jay Krishna Road, Gurhatta, Patna City, Patna.	Patna	30	15
59	Mona School of Nursing, Trilok Nagar, Agamkuan, Patna.	Patna	40	20
60	National Institute of Health Education & Research, I.D.H. Colony, East of NMCH Hospital, Gulzarbagh, Patna-800007	Patna	40	20
61	Patliputra ANM & GNM Training School, Khemnichak, Subhash Nagar, Patna.	Patna	30	15
62	Patliputra Institute of Nursing Training, Shaktipuram Lane, Near Sangam Aptt. Behind Ashiyana Nagar Phase-2, Bailey Road, Patna-800014	Patna	30	15
63	Patna ANM Training School, Barhmpur, P.O.- New Jaganpura, Subhash Nagar, Sampat Chak, Patna.	Patna	40	20
64	R.P. Singh Memorial Nursing College, Ayush Hospital, I.O.C.Road, Sipara, Patna.	Patna	40	20
65	Sanjeevani Arogya Sanstha ANM Training School, Patna, Govindpur, Fatuha, Patna.	Patna	20	10
66	Shivam College of Higher Studies Nursing, Fulwaria, Post- Baikatpur, Patna.	Patna	40	20
67	The Guidance Nursing Institute and Allied Science's, RCA/14, Bahadurpur Housing Colony, Kankerbagh, Patna.	Patna	40	20
68	Tripolia School of Nursing, Tripolia Social Service Hospital, Gulzarbagh, Alamganj, Patna.	Patna	20	10
69	Vidya College of Professional Studies ANM, Rasulpur, Sampatchak, Patna.	Patna	40	20
70	Patel School of Nursing, Anjanpur Colony, 70 feet, BPCL, Road, Patna.	Patna	60	30
71	Raj Kumari Training School, Handlum Bhawan, Rajendra Nagar, Patna.	Patna	60	30
72	AIHE ANM School, R.K.Puram Road, Mathiyapur, Jamsaut, Danapur, Patna.	Patna	30	15
73	Saumya Krishana ANM Training School, Adarash Path, West Patel Nagar, Patna-800023.	Patna	60	30
74	Chandargupt Maurya College of Educational, Kalabhagawanpur, Sadisopur Vikram Road, Sarasat, Patna-801109	Patna	55	28
75	Shivam Higher Education Foundation ANM Training School, Kajha, Purnia.	Purnea	60	30
76	Ambedkar ANM School, Dalmiyan Nagar, Dehri, Dist. Rohtas.	Rohtas	40	20
77	Gems School of Nursing Sikaria Village-Indrapur, Post-Dehri On Sone, Dist.-Rohtas, Bihar.	Rohtas	30	15
78	Parmarth Institute of Nursing Education, Shiv sagar Station Road, Bambour, Sasaram, Rohtas.	Rohtas	30	15
79	Shershah Medical Research & Nurses Training Sansthan, Takiya, Sasaram, Rohtas.	Rohtas	40	20
80	Ambedkar Institute of Education, Durgadih, Bikramganj, Rohtas (Sasaram), Bihar.	Rohtas	60	30
81	RRP School of Nursing, Dalmiyanagar, Sasaram, Rohatas.	Rohtas	50	25
82	Prameela Aadhar ANM Training School, Kashipur, Samastipur.	Samastipur	30	15
83	Krishna Institute of Nursing and Paramedical Sciences, Rahimpur, Rudauli, Post-Harpur Aloth, P.S.-Muffassil, Samastipur-848101	Samastipur	60	30
84	Chapra ANM Nursing School, Rauja, Vishanpura By Pass Main Road, Chapra, Saran.	Saran	20	10
85	Saran Nursing Institute, Village-Sonho, Post- Bhattha Sonho, Saran-841460.	Saran	40	20
86	K.R. ANM Institute of Nursing, Kashibazar, Chapara (Saran).....	Saran	50	25
87	Sheikhpura Institute of Nursing and Paramedical Science, Sheikhpura, Bihar.	Sheikhpura	60	30
88	Rup Bala Memorial ANM Training Centre, Nageswar Nagar, Ward No.-13, Mchualc East, Pupri Road, Dumra, Sitamarhi.	Sitamarhi	30	15
89	Nutan College of Nursing, Village-Dhanhara, Manik Chowk, Sitamarhi-843323.	Sitamarhi	60	30
90	Daksh School of Nursing and Hospital, Bank Road, Chetnapuri, Daroda, Maharajganj, Siwan.	Siwan	30	15
91	Subhwanti Institute of Health Education, Ramdeo Nagar, Mahadeva, Siwan.	Siwan	30	15
92	Pandit Deen Dayal Nursing School, Chanp Pachrukhi Road, Hussainganj, Siwan.	Siwan	60	30
93	Hirawati ANM Training School, At.-Bagdulhan D.A.V. Campus, Hajipur, Vaishali-844101.	Vaishali	40	20
94	Maa Yashoda ANM Nursing School, Jadhua, Chiknauta, Hajipur, Vaishali.	Vaishali	20	10

Total Seat of State quota

- **1864**

- नोट :**
- संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
 - दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।
 - संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरणी की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद कारुन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।
 - भारतीय नर्सिंग कॉन्सिल, नई दिल्ली से मान्यता / अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नामांकनार्थ कार्रवाई होगी।

परिशिष्ट - 3

पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय)

सारणी 3.1 C : पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए ग्रेड 'ए' नर्सिंग पाठ्यक्रम के सीटों की विवरणी (सत्र- 2018 के आधार पर) :

(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

क्र.सं. पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान का नाम	सीटों की संख्या
1	2	3
1. Grade 'A' Nurse	GNM Training School, PMCH, Patna	66
	GNM Training School, NMCH, Patna	66
	GNM Training School, DMCH, Darbhanga	50
	GNM Training School, SKMCH, Muzaffarpur	66
	GNM Training School, ANMMCH, Gaya	45
	GNM Training School, JLNMC, Bhagalpur	75
	GNM School, Sasaram	60
	GNM School, Jehanabad	60
	GNM School, Sheikhpura	60
	GNM School, Saharsa	60
	GNM School, Banka	60
Total Seats		668

- नोट :**
- i. संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
 - ii. दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।
 - iii. संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरणी की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।
 - iv. भारतीय नर्सिंग कॉन्सिल, नई दिल्ली से मान्यता / अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नामांकनार्थ कार्रवाई होगी।

परिशिष्ट - 3

पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय)

सारणी 3.1 D : पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए गैर सरकारी ग्रेड-‘ए’ नर्सिंग पाठ्यक्रम के सीटों की विवरणी :

S.N.	Name of Private ANM School in Bihar	District	Seat	50 % of state quota
1	Shri Bhagawat Prasad Singh Memorial College of Nursing (GNM Nursing School) Dev More, G.T.Road, Aurangabad,	Aurangabad	60	30
2	Yamuna Institute of Nursing, Rajora, Begusarai.	Begusarai	45	23
3	Raj Nursing Institute (GNM School), Odar, Bhabhua, Kaimur	Bhabhua(Kaimur)	50	25
4	Medical Training Sansthan, Jaso Road, Buxar-802101	Buxar	45	23
5	R B Memorial School Of Nursing, R S Tank, Laheriasarai, Darbhanga-846001	Darbhanga	50	25
6	Apolo Nursing Training School, Saidnagar, Lahariyasarai, Darbhanga.	Darbhanga	40	20
7	Priyadarshani Nursing Institute, Beta Chowk, Lahariyasaria, Darbhanga.	Darbhanga	60	30
8	S.N.S. Institute of Nursing Science, Motihari, East Champaran.	E.Champarn	55	28
9	School of Nursing, Duncan Hospital, Raxaul, Bihar	East Champaran	20	10
10	Magadh Paramedical and Nursing Institute, Kewala, Dhamana, Gaya.	Gaya	60	30
11	Rampratap Institute of Higher Education, Village- Chakand, Post+P.S.-Chakand, Gaya-804404	Gaya	50	25
12	Swami Vivekanand Nursing School, Madhav Villa, Chakai Road Simultalla, Dist. Jamui, Bihar	Jamui	40	20
13	Shyam Lal Chandrashekhar Nursing College, NH-31, Parmanandpur, Khagaria-851205	Khagaria	55	28
14	Mata Gujri Memorial GNM Nursing School P.O.-Kishanganj Dist. Kishanganj, Bihar	Kishanganj	60	30
15	Baba Rajaram College of Education, Village+Post-Matashi, P.S.-Halshi, Dist.-Lakhisarai-811315 ...	Lakhisarai	50	25
16	Prashant Nursing Training School, Lenin Chowk, Muzaffarpur	Muzaffarpur	60	30
17	Gautam Institute Of Nursing Saiyad Bahri, Chandi Hilsa Road, Chandi, Nalanda.	Nalanda	40	20
18	Gautam Institute Of Nursing & Paramedics, Bhaganbigha Po - Sohsarai, Bihar Sharif, Nalanda,	Nalanda	40	20
19	D.P.Singh Institute of Education, Gautamnagar, Shahpur, Rahui, Nalanda, Bihar	Nalanda	60	30
20	Mata Sushila Institute of Education, Saiyad Bahri, Hilsa Chandi Road Hilsa, Nalanda.	Nalanda	60	30
21	Ashoka Nursing and Paramedical College (GNM School), Lachubigha,	Nalanda	50	25
22	Ambedkar Institute Of Higher Education Own Campus Chhitnawa, Danapur, Patna	Patna	60	30
23	Dhanarua School Of Nursing, Ebrahimpur, Awadhara, P.O.- Pavery, Dhanarua, Patna	Patna	50	25
24	Himalya Institute Of Higher Education, Khemnichak, Subhash Nagar, New By-Pass, Road, Patna ...	Patna	40	20
25	Tripolia School Of Nursing Tripolia Social Service, hospital, P.O.-Gulzarbagh,	Patna	20	10
26	National Institute Of Health Education And Research 1DH Colony, East Of N.M.C.H. Hospital	Patna	60	30
27	Patliputra ANM & GNM Training School, Khemnichak, Subhash Nagar, Patna, Bihar	Patna	60	30
28	Patna Institution Of Nursing & Para Medical Science, Brahampur, New Jaganpura, Patna, Bihar	Patna	40	20
29	Shivam College OF Higher Studies Nursing, At -Phulwaria, P.O.- Baikatpur, Dist. Patna, Bihar	Patna	30	15
30	MGM College of Nursing and Paramedical School, Azad Nagar, Patna	Patna	60	30
31	AIHE Professional Institute, Jamsaut, R.K Puram Road, Mathiyapur, Danapur, Patna-801503	Patna	60	30
32	Maa Kanti School of Nursing (GSM Nursing School), Ray Jay Krishan Road,	Patna	50	25
33	Narayan Nursing College Post Office- Jamuhar, P.S.- Dehri Sasaram Dist. Rohtas, Bihar	Rohtas	100	50
34	Shershah Medical Research & Training Sansthan Takiya Sasaram, Dist. Rohtas, Bihar	Rohtas	50	25
35	Ambedkar Nursing Institute, Dehri on sone, Dist.- Rohtas	Rohtas	60	30
36	RRP School of Nursing, Daimiyannagar, Sasaram, Rohtas	Rohtas	50	25
37	Krishna Institute of Nursing and Paramedical Sciences, Rahimpur Rudauli,	Samastipur	60	30
38	Pramila Adhar Nursing School (GNM Nursing School) Satanpur Near ujjarpur Block, Samastipur. .	Samastipur	60	30
39	Maa Tarachandi Institute, Lalganj, Sasaram (Rohtas)	Sasaram	60	30
40	Nutan College of Nursing, Village-Dhanhara, Manik, Chowk, Sitamarhi.	Sitamarhi	60	30
41	Daksh School of Nursing and Hospital, Daksh Nagar, Dhebar, Maharajganj, Siwan.	Siwan	60	30
42	Shubhwanti Institute of Education, Pachora, Siwan.	Siwan	60	30
Total Seat of State quota			-	1102

- नोट :**
- संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
 - दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।
 - संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरणी की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद कारुन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।
 - भारतीय नर्सिंग कॉन्सिल, नई दिल्ली से मान्यता / अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नामांकनार्थ कार्रवाई होगी।

पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय)

सारणी 3.2 :- पारा मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए सीटों की विवरणी :

(सत्र 2018 के आधार पर)

(संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।)

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान का नाम	सीटों की संख्या कुल स्वीकृत सीट
1	2	3	4
1.	Ophthalmic Assistant	P.M.C.H., Patna	40
		D.M.C.H., Laheriasarai	30
		N.M.C.H., Patna	20
		S.K.M.C.H., Muzaffarpur	15
		J.L.N.M.C.H., Bhagalpur	15
		A.N.M.M.C.H., Gaya	15
		VIMS, Pawapuri, Nalanda	15
		GMC, Bettiah	15
2.	Laboratory Technician	P.H.I., Patna	50
		P.M.C.H., Patna	35
		D.M.C.H., Laheriasarai	30
		N.M.C.H., Patna	25
		S.K.M.C.H., Muzaffarpur	20
		J.L.N.M.C.H., Bhagalpur	20
		A.N.M.M.C.H., Gaya	20
		VIMS, Pawapuri, Nalanda	15
3.	X'Ray Technician	P.M.C.H., Patna	25
		D.M.C.H., Laheriasarai	25
		N.M.C.H., Patna	20
		S.K.M.C.H., Muzaffarpur	15
		J.L.N.M.C.H., Bhagalpur	15
		A.N.M.M.C.H., Gaya	15
		VIMS, Pawapuri, Nalanda	15
		GMC, Bettiah	15
4.	O.T. Assistant	P.M.C.H., Patna	25

शेष अगले पृष्ठ पर.....

1	2	3	4
		N.M.C.H., Patna	20
		D.M.C.H., Laheriasarai	25
		S.K.M.C.H., Muzaffarpur	15
		J.L.N.M.C.H., Bhagalpur	15
		A.N.M.M.C.H., Gaya	15
		VIMS, Pawapuri, Nalanda	15
		GMC, Bettiah	15
3.	Ortho-Prosthe	P.M.C.H., Patna	6
5.	# Diploma in Pharmacy	Pharmacy Institute, Patna	60
6.	Sanitary Inspector	P.H.I., Patna	40
7.	Dental Hygienist	Patna Dental College, Patna	10
8.	Dental Mechanics	Patna Dental College, Patna	10
Total Seats			816

- नोट :** i. संस्थान / सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे कॉउन्सेलिंग / साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जायेगा।
ii. दिव्यांग कोटा की सीटें प्रत्येक संस्थान की कुल सीटों में ही सम्मिलित हैं।
iii. संस्थानवार / आरक्षण कोटिवार सीटों की पूर्ण विवरणी की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने के बाद काउन्सेलिंग के समय उपलब्ध करा दी जायेगी।

परिशिष्ट-4 (i)

Guidelines for Admission in Degree Courses in Medical Profession against Disabled Quota

(Change to 5% vide संकल्प संख्या- 11/आ.नी.-1-06/2017 सा.प्र.-13062, पटना, दिनांक 12.10.2017 एवं सा.प्र. 7162 पटना, दिनांक 31.05.2018)

In view of the order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in C.A. No. 6120/2001 dated 18 Sept., 2002 and with reference to the Medical Council of India letter no. 34(1)/2003-MED/11773 the guidelines for the admission of physically handicapped candidates against 5% vide letter no. 11 / आ0नी0-1-06/2017 सा0प्र0-13062, Patna, dt. 12.10.2017 reserved seats under Disabled Quota in Medical / Dental / Ayurvedic / Tibbi / Homeopathic / Physiotherapy and Para Medical institution of Bihar are as under:

1. (a) Persons with only locomotory disability of lower limbs between 50% to 70% but otherwise medically fit and having upper limbs fully functional and normal are allowed the benefit of reservation under the disability Act, 1995 for admission against 5% seats of the annual sanctioned intake capacity under Disabled Quota seats to MBBS/ BDS/ PG Medical and other professional medical courses.

Provided that in case any seat in this 5% quota remains unfilled on account of unavailability of candidates with locomotors disability of lower limbs between 50% to 70% then any such unfilled seat in this 5% quota shall be filled up by persons with locomotors disability of lower limbs between 40% to 50% before they are included in annual sanctioned seats for General Category candidates.

Provided further that the entire exercise shall be completed as per the statutory time schedule for admissions and in no case any admission will be made in the MBBS/BDS course after 30th September.

(b) The eligibility Criteria for admissions to persons with locomotors disability of lower limbs will be minimum of 45% marks instead of 50% taken together in qualifying Examination and Competitive Entrance Examination for admission in MBBS course.

2. The visually handicapped and hearing disabled persons are considered invalid and thus ineligible for admission to MBBS / PG Medical and other professional medical courses against Disabled Quota seats.
3. The candidates having locomotory disability involving upper limbs are not eligible for admission to MBBS / PG Medical and other professional medical courses.
4. For availing the benefits of reservation in Disabled Quota, the locomotory disabled candidates with disabilities involving the lower limbs must fulfil the following criteria/ guidelines :-
 - (a) If the locomotory disability involves only one lower limb, it should not be less than 50% and should not exceed 70%.
 - (b) If the locomotory disability involves both the lower limbs, the total disability should not exceed 70% with a minimum of 50%.
 - (c) The disability certificate should be produced by a duly constituted and authorised medical board by the Government of Bihar.
 - (d) The candidate should have minimum eligibility criteria as per Medical Council of India guidelines and should be otherwise medically fit.
5. The provision of this reservation will be applicable in government as well as non-government aided institutions.
6. The candidates, who are aspiring to get seats under Disabled Quota, should apply expressing their claims for the same along with the valid disability certificate.
7. The candidate, seeking the benefit for reservation under Disabled Quota, should present him/herself before a medical board comprising of atleast one expert / specialist from the speciality of orthopaedics from state medical board in the state of Bihar and obtain a valid disability certificate from the medical board by claiming the benefit of reservation.
8. The disability certificate of the candidate from a medical board shall (i) Give a permanent disability certificate where there are no chances of variation in the degree of disability (ii) Indicate the period of validity in the certificate, in cases where there is any chance of variation in the degree of disability.
9. In case, there are not enough number of Candidates, who qualify themselves for admission against reserved seats under Disabled Quota of any category, the consequent vacant seats should be merged with the seats of respective category.

Note : All above guideline will be subject to latest directions of Medical Council of India / Govt. of Bihar issued from time to time.

परिशिष्ट-4(ii)

अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप से सम्बन्धित दिव्यांगजन की अर्हता / योग्यता

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-11 / आ0नी0-1-06/2017 सा0प्र0-13062, पटना दिनांक 12.10.2017 एवं सा.प्र. 7162 पटना, दिनांक 31.05.2018 के अनुसार शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने हेतु मार्ग-दर्शिका

1. कॉउन्सेलिंग के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-11/आ0नी0-1-06/2017 सा0प्र0 13062 पटना दिनांक 12.10.2017 में वर्णित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो कॉउन्सेलिंग के समय उन्हें चिकित्सकीय जांच करानी होगी। जिसके लिए विहित शुल्क का भुगतान उन्हें करना होगा।
2. प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड के सत्यापन के बाद मेधा-सह-विकल्प के आधार पर राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में तथा ऐसी शैक्षणिक संस्थानों में, जिन्हें राज्य सरकार से सहायता मिली हो, नामांकन में दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण भी दिव्यांगता आधारित होगा, जातिगत आधारित नहीं होगा। नामांकन हेतु चयनित दिव्यांग उम्मीदवार जिस आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग का होगा, उसकी गणना उसी आरक्षित/ गैर आरक्षित वर्ग के विरुद्ध होगी।
3. केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं / पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कम-से-कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो। (उपरोक्त संकल्प कडिका-V)
4. दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों एवं पाठ्यक्रम के चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र विक्रय तिथि तक लागू निदेशों का पालन किया जायेगा।

परिशिष्ट-4(iii)

सैनिक कर्मचारी कोटा के अन्तर्गत पॉलिटिकल संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण

बिहार सरकार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

बि० प्रा० (II) छात्र /02/2008/ 1647

पटना, दिनांक 08.06.2010

विषय :- सैनिक कोटा के अधीन राज्य के अभियंत्रण तथा पॉलिटिकल संस्थानों में नामांकन हेतु स्थान आरक्षित करने के संबंध में।

बिहार सरकार, औद्योगिक एवं सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या-4182 दिनांक-02, अगस्त 1960 के द्वारा सैनिक कोटा के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए अभियंत्रण महाविद्यालय के सिविल तथा मेकेनिकल पाठ्यक्रम प्रत्येक में एक-एक स्थान एवं पटना पॉलिटिकल में एक स्थान में नामांकन हेतु आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। साथ ही, गृह विभाग (सैनिक पुनर्वास निदेशालय) के पत्र सं० 412, दि० 18.2.1985 द्वारा भी कार्यरत सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकन में स्थान आरक्षित किया गया था। इन प्रावधानों के आलोक में वर्तमान में सेवारत सैनिक कर्मचारी तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों/ अविवाहित पुत्रियों / आश्रित सहोदर भाइयों / आश्रित अविवाहित सहोदर बहनों / आश्रित भतीजा तथा भतीजियों के लिए प्रत्येक अभियंत्रण/पॉलिटिकल संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त एक-एक सीट पर मेधा के आधार पर प्रवेश लिया जाता रहा है।

2. उपर्युक्त प्रासंगिक संकल्प के संशोधन का मामला निम्न कारणों से राज्य सरकार के विचाराधीन था:-

(i) सैनिक पुनर्वास निदेशालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश में भूतपूर्व / कार्यरत सैनिकों के आश्रितों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए मात्र उनके बच्चों हेतु स्थान आरक्षित किये जाने का उल्लेख है। इसके अलावा प्रासंगिक संकल्प में अभियंत्रण महाविद्यालय / पॉलिटिकल संस्थानों में मात्र भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

(ii) संकल्प संख्या-4182 दिनांक 02 अगस्त 1960 की निर्गत होने की तिथि के बाद से राज्य में तकनीकी संस्थानों तथा पाठ्यक्रमों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है तथा उक्त संकल्प में सभी अभियंत्रण महाविद्यालय के मामले में सभी पाठ्यक्रम तथा पॉलिटिकल संस्थान के मामले में सभी पॉलिटिकल संस्थानों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों का उल्लेख नहीं था।

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक संगठन के रूप में कार्यरत है तथा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त सीट पर नामांकन की वैधता नहीं है।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-456 दिनांक 30.09.2002 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 50 प्रतिशत सीट ही आरक्षित किये जाने का प्रावधान है।

3. तदनुसार, कार्यरत / भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए राज्य के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पॉलिटिकल संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिया है:-

(i) सैनिक कोटा के अधीन राज्य के राजकीय अभियंत्रण तथा पॉलिटिकल संस्थानों में कार्यरत/ भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के पुत्रों / अविवाहित पुत्रियों का ही नामांकन होगा बशर्ते बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में वे सफल घोषित किये गये हों।

(ii) कार्यरत सैनिकों के मामले में उनके सैनिक होने तथा उनके पुत्र / पुत्री से संबंधित प्रमाण पत्र उनके नियंत्री पदाधिकारी से तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा उनके पुत्र-पुत्री होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) प्रत्येक संस्थान के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अंतर्गत एक-एक सीट सैनिक कोटा के लिए आरक्षित होगा। सैनिक कोटा से चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित / अनारक्षित कोटि से आते हों, उसी कोटि में उनकी गिनती की जायेगी। अर्थात्, यह आरक्षण क्षैतिज रूप में लागू होगा।

(iv) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 (बिहार अधिनियम, 16/2003) एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियमों के आलोक में नामांकन आदि की कार्रवाई की जाती रहेगी।

(v) उपर्युक्त प्रावधान सत्र 2010-11 के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा से लागू होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

माडल प्रपत्र
(निवास / आवासीय प्रमाण-पत्र)

कार्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति ग्राम / नगर

पोस्ट थाना प्रखण्ड

अनुमण्डल..... जिला राज्य के स्थायी निवासी हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

(मुहर सहित)

स्थान

दिनांक

**माडल प्रपत्र
(जाति प्रमाण-पत्र के लिए)**

कार्यालय का नाम

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी

पुत्र / पुत्री गाँव / शहर

पोस्ट ऑफिस थाना अनुमण्डल

जिला राज्य समुदाय के सदस्य हैं,

जो कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जाति

एवं अनुसूचित जनजाति सूची (मोडिफिकेशन) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन)

अधिनियम, 1976 एवं समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की सूची में अनुक्रमांक

पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / कुमारी पुत्र/पुत्री

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का / की हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी एवं उनका परिवार

गाँव / शहर प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस थाना

अनुमण्डल जिला राज्य में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

माडल प्रपत्र

(जाति प्रमाण-पत्र के लिए)

कार्यालय का नाम

पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति / श्री ग्राम / नगर

प्रखण्ड पोस्ट थाना

अनुमण्डल जिला राज्य

समुदाय के सदस्य हैं, जो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के

अंतर्गत बिहार राज्य की अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में अनुक्रमांक

पर अंकित है। अतः श्री / श्रीमती / सुश्री पुत्र / पुत्री

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का / की हैं।

श्री / श्रीमती / कुमारी एवं उनका परिवार

गाँव / शहर प्रखण्ड पोस्ट ऑफिस

थाना अनुमण्डल जिला

राज्य में निवास करते हैं।

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

माडल प्रपत्र
(आय प्रमाण पत्र के लिये)

कार्यालय का नाम

प्रमाण-पत्र संख्या

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री

पिता / पति ग्राम / नगर

पोस्ट थाना प्रखण्ड

अनुमण्डल..... जिला राज्य एवं उनके परिवार की
कुल वार्षिक आय निम्नांकित है :-

सरकारी सेवा से आय -
व्यवसाय से आय -
कृषि से आय -
अन्य स्रोतों से आय -
कुल आय (वार्षिक) -

हस्ताक्षर

पदनाम

(मुहर सहित)

बिहार राज्य

स्थान

दिनांक

मॉडल प्रपत्र

Schedule-I
(Form-I)Government of
(Name & Address of the authority issuing the certificate)**INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS**

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of
_____ permanent resident fo _____, Village/Street
_____ Post Office _____ District _____ in the State _____

Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her "family"*** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- i. 5 acres of agricultural land and above;
- ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (State list).

Signature with seal of Office _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport
size attested
photograph of the
applicant.

*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

आवश्यक

1. परीक्षा की तिथि : 16.06.2019 एवं 17.06.2019
2. आवेदन पत्र एवं विवरण पुस्तिका का मूल्य तथा किसी एक पाठ्यक्रम समूह की परीक्षा के लिये परीक्षा-शुल्क कुल : देखें इस विवरण पुस्तिका की कॅडिका-11.1(ii)

दूरभाष संख्या- 0612-2220230, फ़ैक्स- 0612-2224346

Website : bceceboard.bihar.gov.in